



आईएसओ 9001-2015 पत्तन
AN ISO 9001-2015 PORT

**MORMUGAO PORT AUTHORITY
FINANCE DEPARTMENT**

FA/Cost/125/2023/07

17.01.2023


CIRCULAR

**Sub: General Revision of Scale of Rates of
Mormugao Port Authority (MPA) Reg.**

The Board of the Mormugao Port Authority has approved the proposal of General Revision of Scale of Rates (SOR). The same has been published in the Official Gazette Government of Goa, Series I No. 41 dated 12.01.2023. A copy of the Official Gazette Notification (both in Hindi and English) thereof is enclosed herewith for your information and records. The Revised Scale of Rates (SOR) can also be downloaded Port's website <https://www.mptgoa.gov.in>.

Accordingly the revised Scale of Rates notified on 12th January, 2023 will come into effect after expiry of 30 days from the date of notification i.e. with effect from 11th February, 2023.

All Port users / Trade Interests / Shippers and Shipping Agents are requested to kindly take note of the same.


17/1/23
(Anant V.P. Chodnekar)
Financial Advisor &
Chief Accounts Officer

To,

All Port users / Trade Interests / Shippers and Shipping Agents.

c.c. to: Chairman's Table- for information.

Dy. Chairman's Table -do-

TM, CE & DC / MPA -do-

A.O.(CDC)/MPA - for information and compliance.

} by e-mail

Panaji, 12th January, 2023 (Pausa 22, 1944)

SERIES I No. 41

OFFICIAL GOVERNMENT OF GOA GAZETTE



PUBLISHED BY AUTHORITY

NOTE

For Official Gazette, Series I No. 40, the date in Header may be corrected to read as 5th January, 2023 instead of 5th January, 2022.

INDEX

Department	Notification/Add/.	Subject	Pages
1	2	3	4
1. Animal Husbandry	Add.- 14-09-AH/DSPCA/ /2022-23/5629	Addendum to DSPCA-Animal Welfare & Rescue Scheme.	1271
2. Fisheries	Add.- DF/FISH TRADERS/G3/ /2022-23/6679	—	1274
3. Home	Not.- 4/9/2020-HD(F&CD)/NRI/10	Extension of validity period of Goa Welfare/ Pension Scheme for Seafarers 2021.	1274
4. Tourism	Not.- 7/5(235)/2022-23/DT/3434	Revision of Fee Structure for granting of permission for Major Events.	1274
5. Tribal Welfare	Not.- GSSTFDCL/171/2018-19/LA/ /2022-23/4780	Amendment to Ashraya Adhar Scheme.	1275
6. Water Resources	Not.- 4/4/EO-WRD/2033-23/370	Extension of last date for migration into new Enlistment Rules, 2020.	1276
7. Mormugao Port Authority	—	Mormugao Port Authority (Meetings of the Board, its powers and Transactions of Business) Regulations, 2023.	1276
8. —do—	—	Revision of scale of rates.	1291

GOVERNMENT OF GOA**Department of Animal Husbandry**

Directorate of Animal Husbandry & Veterinary
Services

Addendum

14-09-AH/DSPCA/2022-23/5629

Read: 1. Notification No. 14-9-AH/GRAWD/
/2022-23/4055 published in Official
Gazette, Series I No. 30 dated
27th October, 2022.

The Government of Goa is pleased to carry out necessary additions in the "DSPCA-Animal Welfare & Rescue Scheme (Amended)", as follows:

In para 7 of the Pattern of Assistance, after sub para (f), following shall be added as sub para (g):

"(g) The recruitment for the posts in the DSPCA as mentioned in column (2) of the Schedule hereto shall be governed by the conditions of service as specified in the corresponding entries in column (3) to (10) of the Recruitment Rules as Schedule - I."

**Mormugao Port Authority – General
Revision of Scale of Rates (SOR)**

GOA

Dated: 03rd November, 2022.

Notification

In exercise of the powers conferred under section 27 (1) – D Imposition of Rates, clause 1 of the Major Port Authorities Act, 2021, the Board of the Mormugao Port Authority hereby disposes of the proposal for General Revision of Scale of Rates. The General Revision Scale of Rates of Mormugao Port Authority has been set out in the schedule annexed to this notification.

Sd/-

Chairperson of the Board
of Mormugao Port Authority.

Annex - I

MORMUGAO PORT AUTHORITY

SCALE OF RATES

Definitions - General

In this Scale of Rates unless the context otherwise requires, the following definitions shall apply:

(i) "Coastal vessel" shall mean any vessel exclusively employed in trading between any Port or place in India to any other port or place in India having a valid coastal license issued by the Director General of Shipping/Competent authority.

(ii) "Cold Move" shall mean movement without the power of the engine of the vessel.

(iii) "Combination Loading" denotes loading of vessel primarily at berth and then topping-up in stream.

(iv) "Foreign-going Vessel" shall mean any vessel other than Coastal vessel.

(v) "Stream Loading" denotes loading of vessel exclusively at places other than at berths.

(vi) "Vessel Completion Day (VCD)" means the day on which operation of the vessel is fully completed. The Day shall be reckoned as from 7:30 a.m. to 7:30 a.m. on the following day.

(vii) "Shut out cargo" shall mean any cargo brought into the port for shipment but not shipped by the designated vessel and is lying in the port premises.

(viii) "Barge" is any craft designed to carry cargo or passengers on Inland water Transport so certified by IWAI/State Maritime board/ State Maritime administration etc. of India.

(ix) "Hazardous-I" shall mean the cargo/ /container classified as hazardous under International Maritime Organisation (IMO).

General Terms & Conditions

(i) The status of the vessel, as borne out by its certification by the Customs or the Director General of Shipping, is the relevant factor to decide whether vessel is 'coastal' or 'foreign-going' for the purpose of levy of vessel related charges and the nature of cargo or its origin will not be of any relevance for this purpose.

(ii) A. System of classification of vessel for levy of Vessel Related Charges (VRC).

(a) A foreign going vessel of Indian flag having a General Trading Licence can convert to coastal run on the basis of a Customs Conversion Order. Such vessel that converts into coastal run based on the Customs Conversion Order at her first port of call in Indian Port, no further custom conversion is required, so long as it moves on the Indian Coast.

(b) A foreign going vessel of foreign flag can convert to coastal run on the basis of a Licence for Specified Period or voyage issued by the Director General of Shipping and a Custom Conversion order.

B. Criteria for levy of Vessel Related Charges (VRC) at Concessional Coastal rate and foreign rate

(a) In cases of such conversion, coastal rates shall be chargeable by the load port from the time the vessel starts loading coastal goods.

(b) In cases of such conversion coastal rates shall be chargeable till the vessel completes discharging operations at the last call of Indian Port immediately there after, foreign going rates shall be chargeable by the discharge ports.

(c) For dedicated Indian coastal vessels having a Coastal licence from the Director General of Shipping, no other document will be required to be entitled to coastal rates.

(iii) Criteria for levy of Cargo Related Charges (CRC) at Concessional Coastal rate.

(a) Foreign going Indian Vessel having General Trading License issued for 'world wide and coastal' operation should be accorded applicable coastal rates with respect to Handling Charges (HC) i.e. ship to shore transfer and transfer from/to quay to/from storage yard including wharfage in the following scenario:

(i) Converted to coastal run and carrying coastal cargo from any Indian Port and destined for any other Indian Port.

(ii) Not converted* to coastal run but carrying coastal cargo from any Indian Ports and destined for any other Indian Port.

* The Central Board of Excise and Customs Circular No. 15/2002-Cus. dated 25 February, 2002 allows carriage of coastal cargo from one Indian port to another port in India, in Indian flag foreign going vessels without any custom conversion.

(b) In case of a Foreign flag vessel converted to coastal run on the basis of a License for specified period or voyage issued by the Director General of Shipping, and a Custom Conversion Order, the coastal cargo/container loaded from any Indian Port and destined for any other Indian Port should be levied at the rate applicable for coastal cargo/container.

(iv) (a) Vessel related charges shall be levied on Ship-owners/Steamer Agents. Wherever rates have been denominated in US dollar terms, the charges shall be recovered in Indian Rupees after conversion of US currency to its equivalent Indian Rupees at the RBI Reference Rate. The date of entry of the vessel into the port limit shall be reckoned with as the day for such conversion.

(b) Container related charges denominated in US dollar terms shall be collected inequivalent Indian Rupees. For this purpose, the RBI Reference Rate prevalent on the date of entry of the vessel in case of import containers; and on the date of arrival of the containers in the port premises in case of export containers shall be applied for conversion of dollar denominated charges.

(v) (a) Vessels calling the Port, which are declared as cargo in the Import General Manifest or Export General Manifest for the purposes of Customs Act, 1962, shall not be treated as cargo and no wharfage shall be levied on such vessels, and only vessel related charges would be

collected if the vessels come into the port on their steam and sail out of the port limits on their steam. However, when loading or unloading of cargo/container takes place to/from such vessel within the Port limits, cargo/container related charges including wharfage shall be applicable as per SoR on such cargo/container, declared in the manifest (IGM/EGM).

(b) When a vessel carries another vessel as cargo for discharging in the Port, either on the quay, jetty or foreshore (wharf), or loads another vessel as cargo on board itself from such wharf of the Port, in such cases, such loaded or unloaded vessels are 'cargo', on which cargo related charges including "wharfage" are leviable.

(vi) A regular review of exchange rate shall be made once in thirty days from the date of arrival of the vessels in cases of vessels staying in the port for more than thirty days. In such cases, the basis of billing shall change prospectively with reference to the appropriate exchange rate prevailing at the time of the review.

(vii) (a) The vessel related charges for all coastal vessels should not exceed 60% of the corresponding charges for other vessels.

(b) Cargo/container related charges for all coastal cargo/containers, other than thermal coal, POL, including crude oil, iron ore and iron ore pellets, should not exceed 60% of the normal cargo/container related charges.

(c) In case of cargo related charges, the concessional rates should be levied on all the relevant handling charges for ship-shore transfer, and transfer from/to quay to/from storage yard including wharfage.

(d) In case of container related charges, the concession will be applicable on all the relevant charges for ship-shore transfer, and transfer from/to quay to/from storage yard as well as wharfage on cargo and containers.

(e) In case container/cargo from foreign port lands at MOPT for subsequent transshipment to an Indian Port on coastal voyages, 50% of the transshipment rate prescribed for foreign going and 50% of that prescribed for coastal leg shall be levied.

(viii) In case of cargo quantity determined by weightment is more than the quantity declared in the manifest then all applicable charges such as wharfage, storage, stevedoring charges etc. will be collected on the basis of quantity as determined by weightment.

(ix) (a) The SOR will be automatically indexed annually to inflation to the extent of 60% of the variation in the Whole Sale Price Index (WPI) as communicated by Indian Ports Association (IPA) or any other Competent Authority decided by the Government based on the average of monthly Whole Sale Price Index (WPI) for all commodities from January to December announced by the Ministry of Commerce and Industry under the Government of India.

(b) The Mormugao Port Authority would be entitled to indexation in tariff at 100% of variation in WPI as communicated by IPA or any other Competent Authority decided by the Government will be applied instead of 60% variation in WPI prescribed in clause (viii) (a) above, from second year of tariff fixation on achievement of performance standards committed by the Mormugao Port Authority. Such adjustment of SoR will be made every year and the adjusted SoR will come into force from 1st May of the relevant year to 30th April of the following year.

(x) Interest on delayed payments/refunds:

(a) The user shall pay penal interest at the rate of 15% per annum on delayed payments under this Scale of Rates. Like wise, the MOPA shall pay penal interest at the rate of 15% per annum on delayed refunds.

(b) The delay in refunds will be counted only 20 days from the date of completion of services or on production of all the documents required from the users, whichever is later. The refunds would be processed only after the request for refund containing all the details is made in writing.

(c) The delay in payments by user will be counted beyond 10 days after the date of raising the bills. This provision will not apply to the case where payment is to be made before availing of the services/use of port properties or prescribed as a condition in the tariff.

(xi) All charges worked out shall be rounded off to the next higher rupee on the grand total of the bill.

(xii) (a) The rates prescribed in the Scale of Rates are ceiling levels, likewise, rebates and discounts are floor levels. MOPT may, if it so desires, charge lower rates and/or allow higher rebates and discounts.

(b) The Port may also, if they so desire, rationalise the prescribed conditionalities governing the application of rates prescribed in

the Scale of Rates if such rationalisation gives relief to the user in rate per unit and the unit rates prescribed in the Scale of Rates do not exceed the ceiling level.

(c) The Port should notify the public such lower rates and/or rationalisation of the conditionalities governing the application of such rates and continue to notify the public any further changes in such lower rates and/or in the conditionalities governing the application of such rates provided the new rates fixed shall not exceed the rates notified by the TAMP.

(xiii) Users shall not be required to pay charges for delays beyond a reasonable level attributable to the port.

(xiv) The vessel related charges are leviable against Masters, Owners or Agents of vessels and other floating crafts approaching or lying at or along side berths, wharfs, mooring, quay, jetties etc.

(xv) Guidelines on priority berthing of coastal vessels at Major Ports issued by the Ministry of Shipping vide letter No. PT-11033/51/2014-PT dated 4 September, 2014:

(a) "Coastal vessels" is defined as any vessel exclusively employed in trading between any port or place in India to any other port or place in India having a valid coastal license issued by the Director General of Shipping/competent authority.

(b) MOPT shall accord priority berthing, at least on one berth, to dry bulk/general cargo coastal vessels to enable shippers to transport goods from one port in India to another port in India irrespective of origin and final destination of the cargo. This would be in addition to dedicated berth, for handling of Coastal Thermal Coal already existing in Major Ports, if any.

(c) MOPT shall accord priority berthing through specific window to coastal container vessels keeping in view the concession agreements and existing allotment of window berthing at the private terminals and availability of container berths operated by the ports.

(d) In respect of POL/Liquid cargo tankers, existing practices regarding such priorities as prevalent in various ports may continue.

(e) Coastal vessels which are be accorded priority berthing shall not be liable to pay priority berthing charges.

(f) There will be no restrictions on berthing of coastal vessel, in addition to the coastal vessel berthed on priority as above, if the same is eligible under normal berthing policy of the port.

(g) A coastal vessel shall be liable to pay port charges on coastal rates notwithstanding whether it was berthed on priority or otherwise.

(h) Port should explore the possibilities of earmarking exclusive berth, storage areas and gates for coastal cargo outside the custom bonded area of the Ports to further facilitate movement of coastal cargoes.

(i) Port shall clearly work out the time limit within which a coastal vessel would be berthed in a particular port. This time limit may differ depending on the cargo and berth. Port should carry out a detailed exercise and issue a trade notice clearly indicating the upper time limit within which a coastal vessel would be given a berth in the port. As regards priority berthing through a specific window to coastal container vessels, port should have a detailed discussion with the PPP operator and publish the specific window for coastal container vessels. The above mentioned exercise and publication should be completed within 30 days from the date of issue of these guidelines.

(j) The MIS in the Port should capture data for coastal and foreign vessels cargoes separately. The data so captured shall be monitored and reported internally in the port as well as to IPA and Ministry in separate formal for coastal and foreign vessels.

(xvi) In order to decongest the ports and encourage exporters/importers to utilize the port services beyond regular hours, lower charges may be levied for cargo and vessels related services as well as special discount may be offered in port charges for the services rendered after regular hours.

[This condition is incorporated in pursuance to the MOS letter No. PD/14033/101/2015-PD.V dated 3 February, 2016 based on which a common adoption Order No.TAMP/14/2016-Misc dated 16 February, 2016 is approved by this Authority.]

1.0 VESSEL RELATED CHARGES

1.1 PORT DUES

Sr. No.	Particulars	Rate Per GRT per Entry	
		Foreign-going Vessels (US \$)	Coastal Vessels (₹)
1	Vessels	0.382	10.72

Sr. No.	Particulars	Rate (₹)	Frequency of Payment
1.	Barges carrying cargo	6,809	Per Annum or Part Thereof
2.	Bunker/Water Barges	6,809	Per Annum or Part Thereof
3.	Pleasure Yachts	11,347	Per Annum or Part Thereof

Notes:

(i) Port Dues shall be levied for each entry of a vessel except transhippers/floating cranes/vessels remaining in Port for more than thirty days, in which case the levy will be once in thirty days.

(ii) Port Dues shall not be levied on:

(a) Any vessel, which having left the Port, is compelled to re-enter by stress of weather or in consequence of having sustained any damage.

(b) Vessels belonging to other Indian Major Ports.

(c) Country Crafts and Fishing Trawlers.

(iii) A vessel entering the Port in ballast and not carrying passengers shall be charged with only 75% of the Port Dues with which she would otherwise be chargeable.

(iv) A Vessel entering the Port but not discharging or taking in any cargo or passenger/crew therein (with the exception of such unshipment and reshipment as may be necessary for purposes of repair) shall be charged with only 50% of the Port Dues with which she would otherwise be chargeable. However, the vessel arriving at the Port for repairs, shall pay the Port Dues in full, as provided under 1.1 above.

(v) For oil tankers with segregated ballast, the reduced gross tonnage that is indicated in the 'Remarks' column of its International Tonnage Certificate will be taken to be its gross tonnage for the purpose of levy of Port Dues.

(vi) Any vessel coming to the Port for the purpose of taking bunkers or disembarking of sick crew shall be charged with only 50% of the Port Dues with which she would otherwise be chargeable.

1.1.1 CRUISE VESSELS

Ministry of Shipping, GOI has rationalised the tariff structure for Cruise Vessels as communicated

to all Major Ports vide SM-150112/2/2020-MG(Cno338503) dated 14-08-2020. The charges proposed by INCLA have been approved by the Hon'ble MOC(I/C)

(i) The Port charges for Cruise ship to be charged at US\$ 0.085 per GRT ("Fixed rate") and \$5 per passenger ("Head tax") for the first 12 hours stay. Port will not charge any other rate like berth hire, Port dues, pilotage, passenger fees etc.

(ii) For the period exceeding 12 hours stay, the fixed charges on Cruise Ships will be equal to the berth hire charges payable as per SoR (with 40% discount as applicable for Cruise Ships).

(iii) Further, Cruise ships making

(a) 1-50 calls per year to get 10% rebate

(b) 51-100 call per year to get 20% rebate

(c) Above 100 calls per year to get 30% rebate

The above rationalised tariff shall be immediately effective for a period of one year. Thereafter, for the next two years, the tariff may be rationalized by splitting it into two components viz. Fixed rate on ship's GRT and charges per passenger basis (head Tax), in a ratio to be decided later. The volume discounts during this period would be as follows:

(a) 50-74 calls per year to get 10% rebate

(b) 75-100 call per year to get 15% rebate

(c) Above 100 calls per year to get 20% rebate

Ministry of Ports, Shipping & Waterways vide SW-15011/2/2020-MG (CNo 338503), dated 04-10-2022 has extended the rationalization of tariff for cruise vessels from 01-10-2022 to 30-09-2023 and increased the Head tax per passenger from \$5 to \$6 with immediate effect.

(iv) The above rates for Cruise Vessels shall be applicable until further orders from the Government of India.

1.2. PILOTAGE

(i) The composite Pilotage-cum-towage fee includes one inward and one outward movement with required number of tugs/launches of adequate capacity and shifting/s of vessels for 'Port convenience'. Shifting at the request of vessels will attract separate shifting charges.

(ii) Pilotage cum towage shall be charged 50% of the prescribed rates for inward and outward

leg of the vessel depending upon the status of the vessel at each leg (i.e.) either Foreign going or Coastal.

(iii) Pilotage is leviable in all cases except

(a) Where no Pilot and Tug services are provided by the Port.

(b) For Vessels less than 200 GRT

(iv) Where due to any reason, boarding of Pilot is not possible but Pilotage services are provided remotely through VTMS, Pilotage charges are leviable.

(v) Vessels which are frequently moving in Port waters may avail the provision of Pass Pilot/Special Pilot Licence against payment of applicable licence fees.

1.2.1 PILOTAGE FEES

Sr. No.	GRT Slabs	Rate Per GRT	
		Foreign-going Vessels (US \$)	Coastal Vessels (₹)
1.	First 30000 GRT	0.8147	22.35
2.	30001 to 60000 GRT	0.6518	17.89
3.	60001 GRT & above	0.5702	15.65

Note:

- (a) Hot Move The actual rate of Pilotage Fees as per the Schedule of rates.
- (b) Cold Move Double the rate of Pilotage fees as per the Schedule of rates, if (Partly or Fully) both inward and outward movements are cold movements. If only one is cold, then 1.5 times the rate of Pilotage fees will be charged.

1.2.2 SHIFTING CHARGES

A) Shifting within the East of Breakwater:

Sr. No.	GRT Slabs	Rate Per GRT per act of shifting	
		Foreign-going Vessels (US \$)	Coastal Vessels (₹)
1.	First 30000 GRT	0.2037	5.59
2.	30001 to 60000 GRT	0.1629	4.46
3.	60001 GRT & above	0.1427	3.91

B) All shifting other than (A) above

Sr. No.	GRT Slabs	Rate Per GRT per act of shifting	
		Foreign-going Vessels (US \$)	Coastal Vessels (₹)
1.	First 30000 GRT	0.4073	11.19
2.	30001 to 60000 GRT	0.3259	8.94
3.	60001 GRT & above	0.2851	7.83

Notes:

(i) For shifting a vessel from stream to berth or berth to stream or change of berths or anchorages, separate charges are leviable. The shifting charges shall be levied on all acts of shifting, which excludes the inward and outward movements connected with the pilotage. However, no Shifting Charges shall be levied where no Pilot and Tug services are provided by the Port. In case of transhippers/floating crane, however, all acts of shifting are chargeable

(ii) Any shifting operation performed for the convenience of the port shall not be charged.

'Port Convenience' is defined to mean any of the following:

(a) If any vessel at berth or at anchorage/mooring buoys is shifted/unberthed for undertaking dredging work/hydrographical survey work or for allotting a berth for the dredger or for attending to repairs to berths, maintenance and such other similar works where by shifting is necessitated, such shifting shall be considered as "SHIFTING FOR PORT CONVENIENCE". The shifting made to reposition such shifted vessel (s) shall also be considered as "SHIFTING FOR PORT CONVENIENCE".

(b) If any vessel is shifted from berth to accommodate on ousting priority.

(c) If any vessel is shifted to accommodate any other vessel for the convenience of port operations.

(d) If a working cargo vessel is shifted to any other Berth/Mooring Dolphin for port convenience, and is unable to carry out cargo handling operations due to reasons attributable to the Port, then such vessels shall be charged idle anchorage charges.

(iii) The following cases shall not be treated as "SHIFTING FOR PORT CONVENIENCE"

(a) Non-Cargo vessels, including transhipper, which in any case have to vacate the berth when cargo vessels arrive.

(b) Vessels which are idling at berth without doing any cargo handling operations.

(c) Vessels not meeting the loading/unloading norms for a continuous period of three shifts.

1.2.3 Cancellation Charges:

In case of Pilots, whose services have been requisitioned for any movement but not utilized, fees as given below shall be levied.

Sr. No.	Description	Foreign-going Vessels (US \$)	Coastal Vessels (₹)
1.	Cancellation received 2 hrs. before pilot booked time	NIL	NIL
2.	Cancellation received less than 2 hrs. before Pilot booked time	567.00	17021.00
3.	Cancellation received after Pilot boarding (In addition to the detention charges as applicable)	851.00	22695.00

Notes:

(i) In case Tugs have left the station, then the rate of Tug Hire Charges at 1.5.2 shall be levied per Tug in addition to the above cancellation charges.

(ii) The cancellation charges shall not be levied if a booking for vessel's movement is cancelled for reasons attributable to the Port.

1.2.4 Detention charges

If the vessel is not able to move within 30 minutes of Pilot boarding, then the detention charges shall apply from the time the Pilot boards the vessel.

Sr. No.	Description	Foreign-going Vessels (US \$)	Coastal Vessels (₹)
1.	Detention Charges per Hour or Part Thereof	3639.8044	99856

Notes:

(i) If an outward bound vessel carries away a Pilot outside the port limits due to the bad weather, compensation at US\$ 567.00 per day in case of foreign-going vessels and ₹ 15,567.00 per day in case of coastal vessel shall be payable by the Master of the vessel till the Pilot reports back for duty at the Port. In addition, the boarding and lodging expenses of the Pilot on board the ship and the cost of sending him back to the Port shall be payable by the Master of the Vessel.

(ii) The time period attributable to the Port shall not be reckoned for the calculation of Detention Charges.

(iii) The vessel after discharging cargo, goes out of Port limits for cleaning and re-enters the Port limit then it shall attract pilotage fees. Shifting charges shall be applicable, if cleaning of such vessel is carried out within the Port limits.

1.3 BERTH HIRE CHARGES

1.3.1 BERTHS

Sr. No.	Rate per GRT per Hour or Part Thereof		
	Type of Vessel	Foreign-going vessels (US \$)	Coastal Vessels (₹)
1.	Cargo/Cruise/ /Container Vessels, Transshippers	0.0088	0.23
2.	Liquid Bulk Vessels	0.0136	0.38
3.	Indian Navy/Coast Guard Vessels	0.0808	2.21
4.	Research vessels, Survey vessels and other vessels	0.1077	2.95
5.	Foreign Navy/ /Coast Guard Vessels	0.1718	4.72
6.	Barges on per call basis	₹ 1000.00	

1.3.2 MOORING DOLPHINS

Sr. No.	Rate per GRT per Hour or Part thereof		
	Type of Vessel	Foreign-going vessels (US \$)	Coastal Vessels (₹)
1.	Cargo/Container Vessels/ Transshippers	0.0044	0.12
2.	Liquid Bulk Vessels	0.0068	0.18
3.	Indian Navy/Coast Guard Vessels	0.0605	1.67
4.	Research vessels, Survey vessels and other vessels	0.0806	2.22
5.	Foreign Navy/ /Coast Guard Vessels	0.1288	3.53

Notes:

(i) No berth hire shall be levied for the period when the vessel idles at its berth for continuous one hour or

more due to breakdown of port equipment or power failure or for any other reasons attributable to the port subject to night navigation & inclement weather.

(ii) The above charges are leviable against Masters, Owners or Agents of vessels and other floating crafts approaching or lying at or alongside berths, wharfs, mooring, quay, jetties etc., per GRT per hour or part thereof.

(iii) Berth Hire/Mooring Dolphin charges shall be applicable if a non-working vessel is shifted to any Berth/ Mooring Dolphin even for Port Convenience.

1.4 ANCHORAGE CHARGES

The Anchorage Charges are applicable on all vessels.

1.4.1 Working Anchorage

Sr. No.	Particulars	Rate per GRT per Hour or Part thereof	
		Own Anchor in Stream	
		Foreign-going vessels (US \$)	Coastal Vessels (₹)
1.	Cargo/Container Vessels, Transshippers	0.0017	0.04
2.	Liquid Bulk Vessels	0.0027	0.07

1.4.2 Idle Anchorage

Sr. No.	Particulars	Rate per GRT per Hour or Part thereof	
		Own Anchor in Stream	
		Foreign-going vessels (US \$)	Coastal Vessels (₹)
1.	Cargo/Cruise/ /Container Vessels, Transshippers	0.0009	0.03
2.	Liquid Bulk Vessels	0.0014	0.04
3.	Indian Navy/ /Coast Guard Vessel and Other vessels including Re- search vessels, Survey vessels, etc.	0.0269	0.73
4.	Foreign Navy/ /Coast Guard Vessels	0.043	1.19

Notes common to Sections 1.3 and 1.4

(i) Berth hire includes charges for services rendered at the Berth, such as occupation of Berth, overtime at Berth, telephones, rubbish removal, cleaning of Berths, fire watch, etc.

(ii) The period of 1 hour shall be calculated from the time the vessel occupies berth/anchorage.

(iii) (a) Berth hire shall stop 4 hours after the time of the vessel signal ling its readiness to sail.

(b) The time limit of 4 hours prescribed for cessation of berth hire shall exclude the ship's waiting time for want of favourable tidal conditions, in clement weather and due to lack of night navigation.

(c) The master/agent of the vessel shall signal readiness to sail only in accordance with favourable tidal and weather conditions.

(d) There shall be a penal berth hire equal to one day's berth hire charge for a false signal.

"False signal" would be when a ship signals readiness and asks for a Pilot in anticipation even when she is not ready for un-berthing due to engine not being ready or cargo operation not completed or such reasons attributable to the vessel. This excludes the signalling readiness when a ship is not able to sail due to unfavourable tide, lack of night navigation or adverse weather conditions.

(e) A vessel/barge/craft, berthing/unberthing without prior permission from the port will attract a penal berth hire equal to one day's berth hire/call charge as the case may be.

(iv) If a vessel/barge is not ready to vacate the berth within 3 hours after the completion of cargo or after the expiry of notice given by the officers authorised by the MOPF, to so vacate the berth, whichever is later, the vessel shall be liable to pay an additional berth hire charge at five times the normal rate, the incidence being reduced to per hour or part thereof.

(v) The deballasting time allowed at berths shall be 3 hours and beyond that penal Berth hire charges shall be levied at five times the normal berth hire charges, the incidence being reduced to per hour or part thereof, i.e. without any supplementary charge or rebate that may be applicable to the vessel. This will be in addition to the normal berth hire charges applicable for the entire duration of the vessels' stay at the berth.

(vi) Vessels banked on off-side of another vessel at the Berth, Berth Hire Charges shall be leviable at 50% of charges payable by the vessels.

(vii) Priority Berthing

(a) For providing "Priority Berthing" to any vessel, a fee equivalent to Berth hire charges for a single day or 75% of the berth hire charges calculated for a total period of actual stay at the Berth whichever is higher, shall be levied.

(b) Coastal vessels which are be accorded priority berthing shall not be liable to pay priority berthing charges.

(viii) Ousting Priority Berthing

(a) For providing ousting priority to a vessel, a fee equivalent to berth hire charges for single day or 100% of the berth hire charges calculated for the total period of actual stay of the vessels at berth, whichever is higher, shall be levied.

(b) In addition, shifting out/in and applicable anchorage charges of the ousted vessel shall be levied on the vessels, which are provided ousting priority. Such charges shall be based on the exchange rate as applicable to the vessel which has been ousted.

(c) Any vessel for which special exemption has been granted by the Ministry of Shipping shall be granted exemption from the payment of ousting priority charges.

(ix) The idle anchorage charges for Indian Coast Guard vessels and Indian Navy vessels are exempted only when the vessels are patrolling and not when they are actually anchored.

1.5 MISCELLANEOUS SERVICES**1.5.1 Supply of Water to Vessels****1.5.1.1 Charges for Supply of Water to Vessels**

Sr. No.	Position	Rate Per 1000 litres	
		Foreign-going Vessels (US \$)	Coastal Vessels (₹)
1.	At Berth by Barges	8.7591	240.33
2.	(a) Within Break Water	11.7928	323.61
3.	(b) Beyond Break Water	15.1611	415.99

1.5.1.2 Charges for cancellation of water supply after barge has left station

Sr. No.	Description	Foreign-going Coastal Vessels (₹)	
		Vessels (US \$)	Vessels (₹)
1	For supply at EOB	159.0469	4363.68
2	For supply at WOB	318.0795	8727.46

1.5.1.3 Detention charges for water barge

Sr. No.	Description	Foreign-going Coastal Vessels (₹)	
		Vessels (US \$)	Vessels (₹)
1.	For supply at EOB	79.5207	2181.85
2.	For supply at WOB	159.0398	4363.78

Note:			
Charges for minimum requisition for water supply by barge shall be for 50 tonnes at WOB or 25 tonnes at EOB. However, if lesser quantity is being supplied by the Port due to shortage of water then charges would be as per the quantity.			
1.5.2 Flotilla Hire Charges			
Sr. No.	Description	Rate per hour or part thereof (inclusive of fuel and lubricants)	
		Foreign-going Vessels (US \$)	Coastal Vessels (₹)
1.	Tug used for operation other than for assisting berthing, unberthing, shifting and towage of vessels within Port limits.	1213.2681	51063
2.	Launch Hire Charges	17020.975	10212
3.	Launch Hire Charges for Survey work (Excluding manpower cost of Survey Dept.)	34041.949	20425
2.0 CARGO RELATED CHARGES			
2.1 WHARFAGE AT BERTH			
2.1.1 Dry Bulk Cargo			
Sr. No.	Particulars of Commodities	Rate per Tonne (₹)	
		Foreign Cargo	Coastal Cargo
1.	Iron Ore Fines/Lumpy	29.38	29.38
2.	Iron Ore Pellets	33.06	33.06
3.	Pig Iron	58.77	35.26
4.	Bauxite/Manganese	33.06	19.83
5.	Cement/Clinker/Limestone/Gypsum/Nickel/Alumina/Bentonite/Slag	51.42	30.85
6.	Fertilizer/Fertilizer raw material/Rock Phosphate	61.21	36.73
7.	Sugar, Foodgrains, Oil seeds, Cereals & Pulses of all types etc.	48.97	29.38
8.	Wood Chips	48.97	29.38
9.	Steam (Thermal) Coal and its variants	67.34	67.34
10.	Coke of all Types/ /Slag	67.34	40.40
11.	Scrap of all types	67.34	40.40
12.	Sand	51.42	30.85
13.	Livestock Goat, Sheep (each unit)	31.94	19.16
14.	Fodder	5.32	3.19
15.	Soda Ash	67.34	40.40
16.	Cargo not specified above	100.00	60.00
2.1.2 Break Bulk Cargo			
Sr. No.	Particulars of Commodities	Rate per Tonne (₹)	
		Foreign Cargo	Coastal Cargo
1	Wire rolls/Steel Coils of all types	62.44	37.46
2	Slab/Bars/Ingots/Pipes and Plates of all types/ /Timber/wooden logs	80.80	48.48
3	Granites/Marbles	62.44	37.46
4	Minerals and ores of all types in bags, pallets etc.	62.44	37.46
5	Machinery and Project Cargo	323.22	193.92
6	Baggage and personal effects not accompanying bonafide passengers	6.04	3.62
7	Cargo not specified above	300.00	180.00
2.1.3 Liquid Bulk Cargo			
Sr. No.	Particulars of Commodities	Rate per Tonne (₹)	
		Foreign Cargo	Coastal Cargo
1.	Petroleum, Oil & Lubricants and POL Products	532.30	532.30
2.	Caustic Soda	105.29	63.17
3.	Liquid Ammonia	230.17	138.10
4.	Acids of all types	156.71	94.03
5.	LPG/LNG	428.50	257.10
6.	Edible Oil	105.29	63.17

7.	Molasses	69.78	41.87
8.	Cargo not specified above	500.00	300.00

Notes:

(i) Any Cargo not specified above shall be initially grouped as per the relevant customs classification, otherwise classifications should be based on the nature of the cargo (density, stowage & mode of handling etc). If such cargo cannot be classified under any of the above classifications then the rate applicable to the "cargo not specified above" shall apply.

(ii) The weight to be charged shall be subject to a minimum of one (1) tonne. Any fraction thereof is to be rounded off to the next higher tonne.

(iii) Goods from vessels, which being alongside the landing place transhipped into a lighter or vice versa without their being passed over the landing place shall be charged at 75% of the wharfage rates.

(iv) Wharfage on all the commodities, when handled in stream, shall be charged at 60% of the rates applicable at Berth. However, if the vessel is lightered at WOB due to draft restrictions and the same cargo is then brought to the Port's berths (excluding PPP operated terminals), then no wharfage shall be applicable for the cargo handled in stream.

(v) The wharfage charges for transhipment containers/cargo shall be concessional. Such charges shall not exceed 1.5 times the handling charges for the normal handling operation in loading or unloading cycle. In case of transhipment of coastal containers/cargo, the concession in handling charges shall be calculated with reference to the applicable handling charges for coastal containers/cargo for the normal handling operation in loading or unloading cycle. The declaration of the containers/cargo meant for transhipment shall be made at the time of filing of

Import General Manifest (IGM). Such containers/ /cargo meant for transhipment shall be transhipped within seven days from the date of their landing.

(vi) Wharfage shall not be charged on any equipment/machinery e.g grabs, wheel-loaders, forklifts etc. (moveable/unmoveable) loaded on the barges/vessels for carrying out loading/unloading operations in stream or at Mooring dolphins or for carrying out operations at berth.

(vii) Defence stores would include 'Bombs, grenades, torpedoes, mines, missiles, and similar munitions of war and parts thereof: cartridges and other ammunition and projectiles and parts thereof, including shot and cartridges wads' coming under Arms, Ammunition, parts and accessories thereof but the reference to "parts thereof does not include radio or radar apparatus as per note No. 2 of Chapter No. 93 of Customs Tariff of India.

(viii) 80% discount on vessels related charges and Cargo related charges for coastal transportation of vehicles through Ro-Ro ship.

2.1.4 WEIGHMENT CHARGES

Sr. No.	Description	Rate (in ₹)	Unit
1.	Weightment Charges for Rail/Road Weighbridges	6.39	Per Tonne

2.1.5 Dust suppression levy

Cargo Type	Unit	Berths Rate (₹)	MD Rate (₹)
Dry bulk	Tonne	6.39	3.195
Break bulk	Tonne	2.13	1.065
Container	TEU	2.13	1.065

Notes:

Not applicable for Cargo handled at WOB and PPP Berths.

2.2 Containers handling charges**2.2.1 Composite Handling Charges Using Ship's Gears**

Sr. No.	Particulars	Rate per container (in ₹)					
		Foreign			Coastal		
		20'	40'	Above 40'	20'	40'	Above 40'
1.	Loaded Container	3606.76	4540.89	5403.52	2164.06	2724.53	3966.11
2.	Empty Container	2113.12	2299.22	2416.24	1267.87	1379.53	2173.74
3.	Hazardous Container	4505.14	5906.34	7200.28	3246.09	4086.80	5044.17

Notes:

(i) The charges prescribed above includes wharfage for container as well as wharfage on containerized cargo and charges for movement of containers from berth to container yard or vice versa using Reach Stacker/Trailers and delivery/receipt of the containers at the Yard.

(ii) For the containers brought to the Port under transshipment permit for Customs verification to MOPT shall be charged ₹ 5,323/- per container. In addition to this, the charges for the reach stacker moves shall apply for such containers.

2.2.2. Container Storage Charges Outside Custom Bound Area

The charges outside Custom Bound Area shall be increased by 15% per annum only for Bogda area.

Free Time for Import Containers – 20 Days

Free Time for Export Containers – 20 Days

Sr. No.	Period	Rate per container per day or part thereof	
		Foreign-going Vessels (US \$)	Coastal Vessels (₹)
1.	For the first 5 days after free period		
	- upto 20 ft	1.1722	53.80
	- above 20 ft upto 40 ft	2.3445	107.40
2.	From 6th day to 15th day		
	- upto 20 ft	1.7583	80.70
	- above 20 ft upto 40 ft	3.5168	161.10
3.	From 16th day to 30th day		
	- upto 20 ft	2.3444	107.60
	- above 20 ft upto 40 ft	4.6890	214.80
4.	From 31st day onwards		
	- upto 20 ft	3.5166	161.40
	- above 20 ft upto 40 ft	7.0335	322.20
	- above 40 ft	10.5498	484.20

2.2.3 Container Storage Charges in Custom Bound Area

Free Time for Import Containers – 3 Days

Free Time for Export Containers – 7 Days

Sr. No.	Period	Rate Per container per day or part thereof	
		Foreign-going Vessels (US \$)	Coastal Vessels (₹)
1.	For the first 5 days after free period		
	- upto 20 ft	2.3445	107.40
	- above 20 ft upto 40 ft	4.6889	214.79
2.	From 6th day to 15th day		
	- upto 20 ft	3.5168	161.10
	- above 20 ft upto 40 ft	7.0334	322.19
3.	From 16th day to 30th day		
	- upto 20 ft	4.6890	214.80
	- above 20 ft upto 40 ft	9.3778	429.58
	- above 40 ft	14.0670	644.40

4.	From 31st day onwards		
	- upto 20 ft	7.0335	322.20
	- above 20 ft upto 40 ft	14.0667	644.37
	- above 40 ft	21.1005	966.60

Notes:

(i) Free dwell-time (storage) period for import containers shall commence from the day of after the day of landing of the container and for export containers the free period shall commence from the time the container enters the terminal.

(ii) Free dwell-time (storage) allowed shall be exclusive of Customs notified holidays and port's non-working days.

(iii) Premium up to the extent of 50% on handling and storage charges shall be levied in case of hazardous containers. Premium up to extent of 50% on handling charges can be levied on over- dimensional containers.

(iv) The Storage charges on abandoned FCL Containers/Shipper owned containers shall be levied upto the date of receipt of intimation of abandonment in writing or 75 days from the date of landing of container, whichever is earlier subject to the following conditions :

(a) The consignee can issue a letter of abandonment at any time

(b) If the consignee chooses not to issue such letter of abandonment, the container Agent/MLO can also issue abandonment letter subject to the condition that,

(i) The Line shall resume custody of container along with cargo and either take back it or remove it from the port premises; and

(ii) The line shall pay all port charges accrued on the cargo and container before resuming custody of the container.

(c) The container Agent/MLO shall observe the necessary formalities and bear the cost of transportation and de-stuffing. In case of their failure to take such action within the stipulated period, the storage charge on container shall be continued to be levied till such time all necessary actions are taken by the shipping lines for de-stuffing the cargo.

(d) Where the container is seized/confiscated by the Custom Authorities and the same cannot be de-stuffed within the prescribed time limit of 75 days, the storage charges will cease to apply from the date the Custom orders for release of the cargo subject to lines observing the necessary formalities and bearing the cost of transportation and de-stuffing. Otherwise, seized/confiscated containers should be removed by the line/consignee from the port premises to the customs bonded area and in that case the storage

charge shall cease to apply from the date of such removal.

(v) Storage charge on container shall not accrue for the period when the port is not in a position to deliver/ship container when requested by the user.

(vi) If operational area is leased on rental to users, storage charge on Cargo/container shall not be levied.

(vii) Whenever a container is brought in for Export, if moved out of Port without loading on to vessel, then NO free days shall be given. Also, Storage charges & two Reach Stacker moves shall be applicable as per SoR.

2.2.4 Reach Stacker Charges for Additional Moves

Sr. No.	Description	Rate per Move (₹)
1.	Reach Stacker	905.00

Notes:

It is mandatory to use only the Port's Reach Stacker subject to its availability to the hirer for operations in cases when the Reach Stacker though requisitioned but could not be spared by the MOPT for reason like maintenance, overhaul repairs, non-availability because of being hired by another party etc. as certified by the authorised officer of the MOPT, private equipment will be allowed to be used for operations.

2.2.5 Reefer Point Charges

Sr. No.	Description	Rate per Container per 4 hours or part thereof (\$)
1.	Container of length upto 20'	4.2533
2.	Container of length above 20'	5.6800

Notes:

In case of reefer charges, the rates shall stand revised in the proportion of increase in the electricity tariff as revised by the state Electricity Board/Electricity supplier.

General Note to Schedule 2.2. relating to Container Handling Charges:

There shall be no shifting charge for shifting of containers due to reasons not attributable to the users.

2.2.6 Mandatory User Charges

1. An amount of ₹170/- (excl GST) per container will be levied on all containers (except

transshipment and coastal) handled at the Major Port Trusts and BOT terminals operating thereat towards Mandatory User Charge (MUC) for the Logistics Data Bank (LDB) service rendered by National Industrial Corridor Development Corporation (NICDC).

2. MUC charges of ₹ 170/- per container shall be applicable till 27-10-2024.

2.3. CARGO STORAGE CHARGES

(i) **“Vessel Completion Day (VCD)”** means the day on which operation of the vessel is fully completed. The Day shall be reckoned as from 7:30 a.m. to 7:30 a.m. on the following day.

2.3.1 Cargo Storage Charges Outside Custom Bound Area

2.3.1.1 Import

(i) **Free period** – The free period for import cargo shall commence from the Vessel Completion Day. The free period shall be determined based on the manifested quantity of the vessel divided by the specified delivery rate for that cargo, rounded off to the nearest integer.

(ii) Delivery Rate for import Dry Bulk Cargo shall be 1000 tonnes per day.

(iii) Delivery Rate for import Break Bulk Cargo shall be 750 tonnes per day.

(iv) For Smaller parcel size upto 10,000 MT the following free period to be adopted :

Cargo Quantity	Free Period
Upto 5000 MT	7 Days
Above 5000 but less than 10000 MT	10 Days

(v) **Demurrage** – Demurrage shall be payable after the expiry of free period at the rates given below:

Period (after expiry of Free Period)	Open Plot	Covered Storage (Shed)
	Rate per tonne per day (₹)	Rate per tonne per day (₹)
1 - 10 days	6.00	6.60
11 - 20 days	13.00	14.30
21 - 30 days	26.00	28.60
31st day onwards	51.00	56.10

2.3.1.2 Export

(i) **Free period**– The Free period for export cargo shall commence from the Day of aggregation of

cargo for export. The free period shall be determined based on the manifested quantity of the vessel divided by the specified delivery rate for that cargo, rounded off to the nearest integer.

(ii) Delivery Rate for export Dry Bulk Cargo shall be 1000 tonnes per day.

(iii) Delivery Rate for export Break Bulk Cargo shall be 750 tonnes per day.

(iv) For Smaller parcel size upto 10,000 MT the following free period to be adopted :

Cargo Quantity	Free Period
Upto 5000 MT	7 Days
Above 5000 but less than 10000 MT	10 Days

(v) **Demurrage:** Demurrage on all types of cargo shall be payable on the expiry of free days at the following rate:

Period (after expiry of Free Period)	Open Plot	Covered Storage (Shed)
	Rate per tonne per day (₹)	Rate per tonne per day (₹)
1 - 15 days	1.00	1.10
16 - 30 days	3.00	3.30
31st day onwards	6.00	6.60

(vi) In case cargo is shifted from outside custom bound storage area to inside custom bound storage area then the total free days shall not exceed the free days specified for storage inside custom bound area. In cases where the cargo has already availed more than the free days specified for storage inside custom bound area, the demurrage charges shall start from the day of landing inside the custom bound area.

2.3.2 Cargo Storage Charges Inside Custom Bound Area

2.3.2.1 Import

(i) **Free period**– The Free period for import cargo shall commence from the Vessel Completion Day. The free period shall be determined based on the manifested quantity of the vessel divided by the specified delivery rate for that cargo, rounded off to the nearest integer.

(ii) Delivery Rate for import Dry Bulk Cargo shall be 1000 tonnes per day.

(iii) Delivery Rate for import Break Bulk Cargo shall be 750 tonnes per day.

(iv) For smaller parcel size upto 10,000 MT the following free period to be adopted :

Cargo Quantity	Free Period
Upto 5000 MT	7 Days
Above 5000 but less than 10000 MT	10 Days

(v) **Demurrage** – Demurrage shall be payable after the expiry of free period at the rates given below:

Period (after expiry of Free Period)	Open Plot	Covered Storage (Shed)
	Rate per tonne per day (₹)	Rate per tonne per day (₹)
1 - 10 days	11.00	13.20
11 - 20 days	16.00	19.20
21 - 30 days	32.00	38.40
31st day onwards	80.00	96.00

(vi) In case cargo is shifted from within custom bound storage area to outside storage area then the total free days shall not exceed the free days specified for storage outside custom bound area.

2.3.2.2 Export

(i) **Free period** – The Free period for export cargo shall commence from the Day of aggregation of cargo for export. The free period shall be determined based on the manifested quantity of the vessel divided by the specified delivery rate for that cargo, rounded off to the nearest integer.

(ii) Delivery Rate for export Dry Bulk Cargo shall be 1000 tonnes per day.

(iii) Delivery Rate for export Break Bulk Cargo shall be 750 tonnes per day.

(iv) For Smaller parcel size upto 10,000 MT the following free period to be adopted :

Cargo Quantity	Free Period
Upto 5000 MT	7 Days
Above 5000 but less than 10000 MT	10 Days

(v) **Demurrage:** Demurrage on all types of cargo shall be payable on the expiry of free days at the following rate:

Period (after expiry of free period)	Open Plot	Covered Storage (Shed)
	Rate per tonne per day (₹)	Rate per tonne per day (₹)
1 - 15 days	2.00	2.40
16 - 30 days	5.00	6.00
31st day onwards	9.00	10.80

(vi) Demurrage shall cease from the date of commencement of loading of cargo into the vessel.

(vii) Shut-out Cargo –

(a) The demurrage shall be payable for shut-out cargo from the date of completion of the vessel till the clearance of the cargo at the rate as specified above.

(b) A shut-out cargo shall be treated as an aggregation of cargo for the next shipment if the exporter or his authorized representative declares their intent to ship the said shut-out cargo. In such case, the free period for the next shipment shall commence from the date of declaring the said shut-out cargo as aggregation for the next shipment.

(c) Demurrage shall cease from the day, the shut-out cargo is declared and shifted to the area identified by the Traffic Department to store such shut out cargo within the port area. The applicable rent shall be the prevailing rate as per the Port land SoR.

(d) Cargo brought for export, if due to some reason if it is taken back then no free days shall be given, the storage charges shall be charged from date of start of aggregation of cargo.

Ground Rent/Demurrage on Explosives/Dangerous/Hazardous Goods:

Sr. No.	Description	Rate per tonne or part thereof/per TEU per day or part thereof (in ₹)
A.	Ground rent for explosives/dangerous/ /hazardous goods.	
1.	In bulk or break-bulk – -Hazardous -I	12243.00
2.	In Containers– -Hazardous -I	12243.00

Note:

Explosives/Dangerous/Hazardous cargo/ /container shall be shipped/removed on the same date of arrival of the cargo/container into the Port premises. Such cargo shall not be allowed to be stored inside the port premises.

General Notes:

(i) For Demurrage/storage charges, free days allowed shall be exclusive of Customs notified holidays and port non-working days. Once demurrage/storage charge starts accruing no allowance will be made for the Customs notified holidays and Port non-working days.

(ii) "Day" for the purpose of free days shall be reckoned as from 07:30 a.m. to 7:30 a.m. of the following day.

(iii) The Cargo stored in Port sheds/open plots on rental basis will bear the risk and responsibility of the shipper/exporters/importers.

(iv) Shippers/Importer/Exporter shall confirm to all safety measures prescribed in the Dock Safety Regulations and they shall be solely responsible for any damages caused to the person and/or port property.

(v) The period of storage shall be reckoned from the actual day of receipt of goods into the port premises.

(vi) If cargo is evacuated during night from 23.00 to 7.00, a rebate of ₹ 1.00 per tonne shall be given on the demurrage charges for cargo evacuated by road beyond free days.

(vii) Storage/Demurrage charge on cargo/container shall not accrue for the period when the Port is not in a position to deliver/ship import/export cargo/container for reasons attributable to the Port.

2.4. Cargo handling Labour Charges

2.4.1 Stevedoring Charges

Sr. No.	Cargo	Rate per tonne/TEU (₹)	
		Foreign Cargo	Coastal Cargo
1	2	3	
Dry Bulk Cargo			
1.	Iron Ore Fines/Lumpy/Pellets	39.04	23.42
2.	Pig Iron/Manganese/Cement/Clinker/Nickel/Bentonite	58.16	34.90
3.	Bauxite/Limestone/Gypsum	39.04	23.42
4.	Fertilizer/Fertilizer raw material/Rock Phosphate	84.34	50.60
5.	Sugar, Foodgrains, Oil seeds, Cereals & Pulses of all types etc.	84.34	50.60
6.	Wood Chips	51.82	31.10
7.	Coal/Coke (all Types) /Slag	52.17	31.30
8.	Scrap of all types	81.00	48.60
9.	Sand	39.04	23.42

1	2	3	
10.	Soda Ash	52.17	31.30
11.	Cargo not specified above	100.00	60.00
Break Bulk Cargo			
1.	Wire rolls /steel coils of all types/slabs/ bars/Ingots of all types/granites/ marbles	70.67	42.40
2.	Pipes and plates of all types/timber/wooden logs	69.20	41.52
3.	Minerals and ores of all types in bags, pallets etc.	110.19	66.11
4.	Machinery and Project Cargo	70.67	42.40
5.	All Cargo in Jumbo Bags	110.19	66.11
6.	All Cargo handled using Net Slings	222.50	133.50
7.	Cargo not specified above	200.00	120.00

Note:

Any Cargo not specified above shall be initially grouped as per the relevant customs classification, otherwise classifications should be based on the nature of the cargo (density, stowage & mode of handling etc). If such cargo cannot be classified under any of the above classifications then the rate applicable to the "cargo not specified above" shall apply.

2.4.2. Containers Stuffing/De-Stuffing Charges:

Sr. No.	Cargo	Rate (₹)	Foreign Cargo	Coastal Cargo
1.	Container Stuffing/ De-stuffing	per TEU	1278.00	767.00

Notes to Section 2.4.:

(i) In case of handling coastal cargo eligible for concessional tariff and for coastal containers involving ship-shore transfer from/quay to/from storage yard, 60% of the rates prescribed for normal cargo in the above schedules will be levied if not prescribed specifically in this schedule.

(ii) The handling charges for transshipment containers/ cargo shall be concessional. Such charges shall not exceed 1.5 times the handling charges for the normal handling operation in loading or unloading cycle. In case of transshipment of coastal containers/cargo, the

concession in handling charges shall be calculated with reference to the applicable handling charges for coastal containers/cargo for the normal handling operation in loading or unloading cycle. The declaration of the containers/cargo meant for transshipment shall be made at the time of filing of Import General Manifest (IGM). Such containers/cargo meant for transshipment shall be transhipped within seven days from the date of their landing.

2.5. Electronic Data Interchange Charges

(i) One Time charges of ₹ 50000/- will be charged for issue of New EDI (SAP access).

(ii) EDI Charges shall be charged at 1% of the Service Amount subject to a minimum of US \$ 2.00 and ₹ 100/- and a maximum of US \$ 50.00 and ₹ 3500/- for Foreign and Coastal related services respectively. Service amount is the Invoice amount exclusive of any taxes.

2.6. Miscellaneous cargo related charges

2.6.1. Mobile Harbour Crane

Sr. No.	Cargo	Rate per Tonne (₹)	
		Foreign Cargo	Coastal Cargo
1	2	3	
Dry Bulk Cargo			
1.	Iron Ore Fines/Lumpy/ /Pellets/Pig Iron/Bauxite/ /Manganese/Limestone/ Gypsum/Cement/Clinker/ Nickel/Bentonite	59.00	35.00
2.	Fertilizer/Fertilizer raw material/ Rock Phosphate	97.00	59.00
3.	Sugar, Foodgrains, Oil seeds, Cereals & Pulses of all types etc.	97.00	59.00

1	2	3	
4.	Wood Chips	70.00	42.00
5.	Coal/Coke (all Types)/ Slag	104.34	62.60
6.	Scrap of all types	162.00	97.20
7.	Sand	78.08	46.85
8.	Soda Ash	104.34	62.60
9.	Cargo not specified above	100.00	60.00

Break Bulk Cargo

1.	Wire rolls/steel coils of all types/slabs/bars/ ingots of all types/ granites/marbles	96.00	57.50
2.	Pipes and plates of all types/timber/wooden logs	160.00	96.00
3.	Minerals and ores of al types in bags, pallets etc	146.97	88.15
4.	Machinery and Project Cargo	94.23	56.54
5.	All Cargo in jumbo bags	133.00	80.00
6.	All Cargo handled using net slings	266.00	160.00
7.	Cargo not specified above	200.00	120.00

Note:

Any Cargo not specified above shall be initially grouped as per the relevant customs classification, otherwise classifications should be based on the nature of the cargo (density, stowage & mode of handling etc). If such cargo cannot be classified under any of the above classifications then the rate applicable to the "cargo not specified above" shall apply.

2.6.2 Container Handling by Mobile Harbour Crane

(in ₹)

Container Category	Foreign			Coastal		
	Up to 20' length	Above 20' length but up to 40'	Above 40' length	Up to 20' length	Above 20' length but up to 40'	Above 40' length
Normal Container Loaded	1963	2945	3927	1179	1767	2356
Normal Container Empty	1571	2356	3141	943	1414	1884
Hazardous Container Loaded	2454	3680	4908	1473	2209	2945
Hazardous Container Empty	1963	2945	3927	1179	1767	2356

Notes:

(i) In case of breakdown of the crane for more than one hour till the vessel leaves the berth, the quantity handled by HMC will be determined taking into account cargo loaded/discharged prior to break-down divided by crane working hours and multiplied by 24.

(ii) In case of stoppages of operation of HMC for more than two hours at a stretch for reasons not attributable to the HMC, appropriate allowance will be allowed to the crane while calculating the total time of crane operation in the vessel. Stoppages of HMC for less than 2 hours will not be taken into consideration for the above purpose. No allowance will be allowed for stoppages attributable to the HMC. All stoppages in loading/unloading operations during working of HMC are required to be certified by the Stevedore of the vessel in the daily vessel performance report.

3.0 Transhipper/Floating crane Charges using Own anchor

The charges for loading/unloading of cargo through Transhipper/floating cranes shall be collected from the transhipper vessel/floating crane owners at following rates:

Particulars	Rate per tonne (₹)
Transhipper	21.00
Floating crane	21.00

4.0 SUNDRY CHARGES

4.1 HIRE OF EQUIPMENT & MACHINERY:

The port equipment and machineries used for purposes other than cargo handling shall be charged at the following rates:

Sr. No.	Description	Rate (₹)	Unit
1.	Mobile Harbour Crane	28771.00	Per hour or part thereof.
2.	3 Tonne Forklifts	1224.00	Per hour or part thereof.
3.	8 Tonne TIL Bull Crane	1469.00	Per hour or part thereof.
4.	11 Tonne ACE Crane	1836.00	Per hour or part thereof.
5.	75 MT TIL Crane	7346.00	Per hour or part thereof.
6.	EOT Crane 8 Tonne	2662.00	Per hour or part thereof.
7.	EOT Crane 12 Tonne	3992.00	Per hour or part thereof.
8.	EOT Crane 18 Tonne	5988.00	Per hour or part thereof.
9.	Loco Engine Pit Charges	2129.00	Per hour or part thereof.
10.	Bollard Pull Test	26615.00	Per Test

4.2 Miscellaneous Charges

Sr. No.	Description	Rate (in ₹)	Unit
1.	Dumping of Dredged Material by Parties	32.00	Per cubic meter
2.	1 Std Length Oil Boom (Excl. manpower and flotilla cost, etc.)	2662.00	Per hour or part thereof
3.	Skimmer/Any OPRC equipment (Excl. man power and flotilla cost, etc.)	3194.00	Per hour or part thereof

Note:

Manpower and consumable costs shall be payable extra at actuals.

4.3 License fee for operating Transhipper/Floating crane in port

Particulars	₹ Per annum
Transhipper	1,59,690.00
Floating Crane	1,06,460.00

4.4 Charges for use of Transhipper/Floating Crane provided by the Authorized Private Operators for Cargo Operations:

Particulars	Ceiling rate per tonne in ₹ (Foreign)
Transhipper 30 T	149.00
Floating Crane 32 T	117.00

Note:

The rates prescribed in this schedule is not subject to annual indexation in tariff and performance linked tariff prescribed in note No. (vii) under General Terms and Conditions.

4.5 Railway Charges:

Sr. No.	Description	Rate in Rs.
1.	Haulage Charges	Rate as notified by the Railway Board
2.	Terminal Charges	from time to time shall be levied.
3.	Hire of Locomotive	Rate of stabling charge will be Rs. 550.00 per wagon per day or part thereof from the time of arrival to the time of removal.
4.	Stabling Charges on non-commissioned wagon or wagon owned by CFS operator/by party other than Indian Railways	Double the existing Hauling charges.
5.	Additional Hauling Charges	Rate as notified by the Port from time to time.
6.	Yard cleaning charges	

Note:	Daily	150.00
	7 days	1000.00
	15 days	1500.00
	30 days	2000.00

4.6 Holiday Overtime:

The services availed by the port users during the port holidays will be liable for payment of Holiday Overtime charges. The said charges are based on the Cost to Company (CTC) of the personnel booked for providing services.

4.7 Charges for Harbour Entry Permits: (Excluding GST)

Sr. No.	Type of harbour entry permits	Rate (₹)
1.	TEMPORARY	
A.	Daily Commercial Vehicles	25.00
	Person	10.00
	Vehicles (Four wheeler)	50.00
	Two wheeler	25.00
	Bus	100.00
B.	WEEKLY	
	Person	62.00
	Vehicles (Four wheeler)	125.00
	Two wheeler	50.00
	Bus	600.00
C.	MONTHLY	
	Person	250.00
	Vehicles (Four wheeler)	500.00
	Two wheeler	300.00
	Bus	2000.00
2.	ANNUAL	
A.	Person	1000.00
	Vehicles (Four wheeler)	2000.00
	Two wheeler	1000.00
	Bus	5000.00
3.	INTER-CARTING VEHICLES	
	Trucks – Daily	100.00
	Trucks – 7 days	500.00
	Tippers – 15 days	750.00
	Tippers – 30 days	1000.00
	Trailors – Six months	2000.00
	Trailors – One year	4000.00
4.	INTER- CARTING EQUIPMENTS (DOZERS, DUMPERS, BACK- HOES, EXCAVATORS, ETC.)	

5.	LOADERS, CRANES & OTHER HEAVY MACHINES, ETC.	
	Half yearly	15000.00
	Annual	25000.00
6.	VISIT OR PASS (PRIVATE VISITORS)	
	Person	50.00
	Vehicles (Four wheeler)	100.00
	Two wheeler	50.00
	Mini Coach-Bus	200.00
	Luxury Coaches/Bus	300.00
7.	All above charges are excluding charges for RFID card. RFID card charges (inclusive of GST)	100.00

Annex -II

Performance Standards

Sr. No.	Performance Parameters	Performance Standard
1.	Cargo Related Services	
(a)	Average Ship Berth day Output (in tonnes) in respect of Major Cargo groups	
	(i) Dry bulk cargo	5500
	(ii) Break-bulk cargo	4000
	(iii) Liquid bulk cargo	6500
(b)	Average moves per hour (inTEUs) in respect of Containers	12
2.	Vessel Related Services	
(a)	Average Turnaround Time of Vessels (in days)	3.60
(b)	Average Pre-Berthing Time of Vessels (in days) (Port's A/c.)	0.32

Sd/-

Chairperson of the Board of
Mormugao Port Authority.

V-.No. AP-1056/2023.

मुरगांव पत्तन प्राधिकरण**मुरगांव पत्तन प्राधिकरण - दरमान (एसओआर) में सामान्य संशोधन**

गोवा

दिनांक: 03 नवम्बर, 2022

अधिसूचना

मुरगांव पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के खण्ड-1, धारा 27(1)- घ- दरों को लागू करना, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुरगांव पत्तन प्राधिकरण का मंडल दरमानों के सामान्य संशोधन संबंधी प्रस्ताव का एतद्वारा निपटान करता है। इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में मुरगांव पत्तन प्राधिकरण के दरमानों के सामान्य संशोधन को निर्धारित किया गया है।

Sd/-

मुरगांव पत्तन प्राधिकरण मंडल के अध्यक्ष

अनुबंध - क

**मुरगांव पत्तन प्राधिकरण
दरमान****परिभाषाएँ - सामान्य**

इस दरमान में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होंगी:-

(i) "तटीय जहाज" का अर्थ होगा, भारत में किसी भी पत्तन या स्थान से भारत में किसी अन्य पत्तन या स्थान के बीच व्यापार में विशेष रूप से नियोजित कोई भी जहाज, जिसके पास नौवहन महानिदेशालय/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध तटीय लाइसेंस होगा।

(ii) "कोल्ड मूव" का अर्थ होगा, जहाज के इंजन की शक्ति के बिना संचलन करना ।

(iii) "संयुक्त लदान" मुख्य रूप से बर्थ पर जहाजका लदान और फिर सरणी में उतराई को दर्शाता है।

(iv) "विदेशगामी जहाज" का अर्थ तटीय जहाज के अलावा कोई भी जहाज होगा।

(v) "सरणी लदान" विशेष रूप से बर्थ के अलावा अन्य स्थानों पर पोत के लदान को दर्शाता है।

(vi) "जहाज समापन दिवस (वीसीडी)" का अर्थ उस दिन से है जिस दिन जहाज का संचालन पूरी तरह से पूरा हो जाता है। दिन की गणना सुबह 7.30 बजे से अगले दिन के 7.30 बजे तक की जाएगी।

(vii) "शट आउट कार्गो" का अर्थ होगा कोई कार्गो जो नौभरण के लिए पत्तन में लाया जाता है, परंतु नामित जहाज द्वारा यानांतरण नहीं किया जाता है और पत्तन परिसर में रखा रह जाता है।

(viii) "बजरा" अंतर्देशीय जल परिवहन पर कार्गो या यात्रियों को ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया कोई भी जलयान है जो भारत के आईडब्ल्यूए/राज्य समुद्री बोर्ड/राज्य समुद्री प्रशासन आदि द्वारा प्रमाणित है।

(ix) "खतरनाक" का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) के तहत खतरनाक के रूप में वर्गीकृत कार्गो/कंटेनर होगा

सामान्य निबंधन एवं शर्तें

(i) जहाज की स्थिति, जैसा कि सीमा शुल्क या नौवहन महानिदेशक द्वारा प्रमाणन किया गया हो, जहाज संबंधित प्रभारों की वसूली के प्रयोजन के लिए जहाज को 'तटीय' या 'विदेशगामी' में वर्गीकृत करने के लिए निर्णायक कारक होगा और कार्गो की प्रकृति या इसके मूल प्रयोजन के लिए कोई प्रासंगिक नहीं होगा।

(ii) क.. पोत संबंधी प्रभार (वीआरसी) की वसूली के लिए पोत के वर्गीकरण की प्रणाली।

(क) सामान्य व्यापार लाइसेंस रखने वाला भारतीय ध्वज का एक विदेशगामी जहाज सीमा शुल्क रूपांतरण आदेश के आधार पर तटीय नौसंचालन में परिवर्तित हो सकता है। ऐसे जहाज जो भारतीय पत्तन में अपने पहले पत्तन आगमन पर सीमा शुल्क रूपांतरण आदेश के आधार पर तटीय नौसंचालन में परिवर्तित हो जाता है, को तब तक आगे सीमाशुल्क रूपांतरण की आवश्यकता नहीं होती है, जब तक यह भारतीय तट पर नहीं पहुंचता है।

(ख) विदेशी ध्वज का एक विदेशगामी जहाज नौवहन महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि या यात्रा के लिए जारी लाइसेंस और एक सीमाशुल्क रूपांतरण आदेश के आधार पर तटीय नौसंचालन में परिवर्तित हो सकता है।

ख. रियायती तटीय दर और विदेशी दर पर जहाज संबंधित प्रभारों (वीआरसी) की वसूली के लिए मानदंड

(क) ऐसे रूपांतरण के मामलों में, लदान करने वाले पत्तन द्वारा तटीय दरों को उस समय से प्रभारित किया जाएगा जब जहाज तटीय माल का लदान करना शुरू करता है।

(ख) इस तरह के रूपांतरण के मामलों में तटीय दरें तब तक प्रभार्य रहेंगी जब तक कि जहाज भारतीय पत्तन के अंतिम कॉल पर तुरंत निर्वहन संचालन पूरा नहीं कर लेता, उसके तुरंत बाद विदेशगामी दरें अभारण पत्तनों द्वारा प्रभार्य होंगी।

(ग) नौवहन महानिदेशालय से तटीय लाइसेंस रखने वाले समर्पित भारतीय तटीय जहाजों के लिए तटीय दरों के हकदार होने के लिए किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी

(iii) रियायती तटीय दर पर कार्गो संबंधित प्रभारों (सीआरसी) की वसूली हेतु मानदंड

(क) 'विश्वव्यापी और तटीय' संचालन के लिए जारी किए गए सामान्य व्यापार लाइसेंस वाले विदेशगामी भारतीय जहाज को संभलाई प्रभार (एचसी) के मामले में यानी निम्नलिखित परिदृश्य में जहाज से तट पर स्थानांतरण और घाट से/भंडारण याई से/से भंडारण याई में घाट शुल्क सहित, के संबंध में यथा ग्राह्य तटीय दरें लागू की जाएंगी:

(i) तटीय नौसंचालन में परिवर्तन और किसी भी भारतीय पत्तन से तटीय कार्गो की ढुलाई करना और किसी अन्य भारतीय पत्तन के लिए गंतव्यित करना।

(ii) तटीय नौसंचालन में *अपरिवर्तित, लेकिन किसी भी भारतीय पत्तन से तटीय कार्गो की ढुलाई करना और किसी अन्य भारतीय पत्तन के लिए गंतव्यित करना।

* केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड कापरिपत्र सं. 15/2002-सीमा शुल्क, दिनांक 25 फरवरी, 2002, भारतीय ध्वज के विदेशगामी जहाजों को बिना किसी सीमाशुल्क रूपांतरण के एक भारतीय पत्तन से भारत में दूसरे पत्तन तक तटीय कार्गो की ढुलाई की अनुमति देता है।

(ख) नौवहन महानिदेशक द्वारा जारी निर्दिष्ट अवधि या नौप्रस्थान के लिए जारी किए गए लाइसेंस और सीमाशुल्क रूपांतरण आदेश के आधार पर तटीय नौसंचालन में परिवर्तित एक विदेशी ध्वज के जहाज के मामले में, किसी भी भारतीय पत्तन से भारण किए गए और किसी अन्य भारतीय पत्तन को गंतव्यित तटीय कार्गो/कंटेनर के लिए तटीय कार्गो/कंटेनर के लिए यथा ग्राह्य दर वसूली जानी चाहिए।

(iv) क) जहाज-मालिकों/स्टीमर एजेंटों से जहाज संबंधी प्रभार वसूल किए जाएंगे। जहां भी दरों को अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में दर्शाया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर पर अमेरिकी मुद्रा को उसके समकक्ष भारतीय रुपये में बदलने के बाद भारतीय रुपये में प्रभार वसूल किए जाएंगे। पत्तन सीमा में जहाज के प्रवेश की तिथि को ऐसे रूपांतरण के दिन के रूप में गिना जाएगा।

(ख) अमेरिकी डॉलर में मूल्यवर्गित कंटेनर संबंधित प्रभार समतुल्य भारतीय रुपये में वसूल किए जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए, आयात कंटेनरों के मामले में जहाज के प्रवेश की तिथि पर प्रचलित आरबीआई संदर्भ दर; और निर्यात कंटेनरों के मामले में पत्तन परिसर में कंटेनरों के आगमन की तिथि पर डॉलर मूल्यवर्गित प्रभारों के परिवर्तन के लिए लागू होगी।

(v) (क) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रयोजनों के लिए आयात सामान्य मालसूची या निर्यात सामान्य मालसूची में कार्गो के रूप में घोषित किए गए पत्तन में आए जहाजों को कार्गो के रूप में नहीं माना जाएगा और ऐसे जहाजों पर कोई घाट शुल्क नहीं लगाया जाएगा, और केवल जहाज संबद्ध शुल्क वसूला जाएगा, यदि जहाज अपनी भाप पर पत्तन में आते हैं और अपनी भाप पर पत्तन की सीमा से बाहर निकल जाते हैं। हालांकि, जब पत्तन सीमा के भीतर ऐसे जहाज से/से कार्गो/कंटेनर की लोडिंग या अनलोडिंग होती है, तो माल/कंटेनर से संबंधित शुल्क घाट शुल्क सहित ऐसे कार्गो/कंटेनर पर एसओआर के अनुसार लागू होंगे, जो मालसूची (आईजीएम/ईजीएम) में घोषित किया गया है।

(ख) जब कोई जहाज किसी अन्य जहाज को पत्तन में या तो क्वे, जेट्टी या फोरशोर (घाट) पर, उतारने के लिए कार्गो के रूप में ले जाता है, या पत्तन के ऐसे घाट से जहाज पर ही कार्गो के रूप में किसी अन्य जहाज का भारण करता है, तो ऐसे मामलों में, ऐसा भारण या अभारण जहाज 'कार्गो' हैं, जिन पर घाटशुल्क सहित कार्गो संबंधित प्रभार वसूले जाते हैं।

(vi) तीस दिन से अधिक समय तक पत्तन में रहने के मामले में जहाजों के आगमन की तारीख से तीस दिनों में एक बार विनिमय दर की नियमित समीक्षा की जाएगी। ऐसे मामलों में, समीक्षा के समय विद्यमान उचित विनिमय दर के संदर्भ में बिलिंग का आधार संभावित रूप से बदल जाएगा।

(vii) (क) सभी तटीय जहाजों के लिए जहाज संबद्ध प्रभार अन्य जहाजों के तदनुसूची प्रभारों के 60% से अधिक नहीं होने चाहिए।

(ख) सभी तटीय कार्गो/कंटेनरों के लिए कार्गो/कंटेनर संबंधित प्रभार, थर्मल कोयले, पीओएल के अलावा, कच्चा तेल, लौह अयस्क और लौह अयस्क पेलेट्स सहित सामान्य कार्गो/कंटेनर संबंधित प्रभारों के 60% से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ग) कार्गो संबंधी प्रभारों के मामले में, पोत-तट स्थानांतरण, और घाट से भंडारण यार्ड/ भंडारण यार्ड से घाट स्थानांतरण के लिए घाटशुल्क सहित सभी प्रासंगिक संभलाई प्रभारों पर रियायती दरें वसूल की जानी चाहिए।

(घ) कंटेनर संबंधी प्रभारों के मामले में, पोत-तट स्थानांतरण के लिए सभी प्रासंगिक प्रभारों पर रियायत लागू होगी, और घाट से भंडारण यार्ड/ भंडारण यार्ड से घाट स्थानांतरण के साथ-साथ कार्गो और कंटेनरों पर घाट शुल्क भी लागू होगा।

(ड) यदि विदेशी पत्तन से कंटेनर/कार्गो एमओपीटी में उतरते हैं और बाद में तटीय यात्राओं पर भारतीय पत्तन में यानांतरण के लिए जाते हैं, तो विदेश जाने के लिए निर्धारित यानांतरण दर का 50% और तटीय लेग के लिए निर्धारित का 50% दर की वसूली की जानी चाहिए।

(viii) यदि वजन द्वारा निर्धारित कार्गो मात्रा मालसूची में घोषित मात्रा से अधिक है तो सभी लागू प्रभार जैसे कि घाट शुल्क, भंडारण, स्टीवडोरिंग शुल्क आदि को वजन द्वारा निर्धारित मात्रा के आधार पर वसूले जाएंगे।

(ix) (क) भारत सरकार के तहत वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जनवरी से दिसंबर तक सभी वस्तुओं के लिए घोषित थोक बिक्री मूल्य सूचकांक के आधार पर इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन (आईपीए) या सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचित किए अनुसार, एसओआर स्वतः रूप से मुद्रास्फीति के लिए सालाना 60% की सीमा तक थोक बिक्री मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भिन्नता के औसत के आधार पर अनुक्रमित किया जाएगा।

(ख) मुरगांव पत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रतिबद्ध प्रदर्शन मानकों की उपलब्धि पर टैरिफ निर्धारण के दूसरे वर्ष से मुरगांव पत्तन प्राधिकरण उपर खंड (viii) (क) में निर्धारित डब्ल्यूपीआई में 60% बदलाव के बजाय आईपीए या सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचित किए अनुसार डब्ल्यूपीआई में 100% भिन्नता पर टैरिफ में इंडेक्सेशन का हकदार होगा। एसओआर का ऐसा समायोजन प्रति वर्ष किया जाएगा और यह समायोजित एसओआर संबंधित वर्ष के 1 मई से अगले वर्ष के 30 अप्रैल तक लागू किया जाएगा।

(x) विलंबित भुगतान/वापसी राशि पर ब्याज:

(क) उपयोगकर्ता इस दरमान के अंतर्गत विलंबित भुगतान पर 15% प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज का भुगतान करेगा। इसी तरह, एमओपीए विलंबित वापसी राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज अदा करेगा।

(ख) वापसी में देरी सेवाओं के पूरा होने की तारीख से या उपयोगकर्ताओं से आवश्यक सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने, जो भी बाद में हो, से केवल 20 दिनों की गणना की जाएगी। वापसी की प्रक्रिया तभी की जाएगी जब सभी विवरण सहित लिखित में वापसी के लिए अनुरोध किया जाएगा।

(ग) उपयोगकर्ता द्वारा भुगतान में देरी की गणना बिल जारी करने की तिथि के 10 दिनों के बाद की जाएगी। यह प्रावधान उस मामले में लागू नहीं होगा जहां सेवाओं का लाभ उठाने से पहले भुगतान किया जाना है/पत्तन संपत्तियों का उपयोग करना है या टैरिफ में एक शर्त के रूप में निर्धारित किया गया है।

(xi) परिकल्पित सभी प्रभार बिल के सकल जोड़ पर अगले उच्चतर रूप में पूर्णांकित किए जाएंगे।

(xii) (क) दरमान में निर्धारित दरें अधिकतम हैं, इसी तरह, रियायत और छूट निम्नतम स्तर हैं। यदि एमओपीटी चाहे तो कम दरें वसूल कर सकता है और/या अधिक रियायत और छूट की अनुमति दे सकता है।

(ख) पत्तन, यदि वे चाहें तो, दरमान में निर्धारित दरों के अनुप्रयोग को नियंत्रित करने वाली निर्धारित शर्तों को युक्तिसंगत बना सकता हैं, यदि इस तरह के युक्तीकरण से उपयोग कर्ता को प्रति यूनिट दर में राहत मिलती है और दरमान निर्धारित यूनिट दर अधिकतम स्तर से अधिक नहीं होंगी।

(ग) पत्तन को जनता को इस तरह की कम की गई दरों और/या ऐसी दरों के अनुप्रयोग को नियंत्रित करने वाली शर्तों के युक्तीकरण के बारे में जनता को सूचित करना होगा और जनता को इस तरह की कम की गई दरों और/या ऐसी दरों के अनुप्रयोग को नियंत्रित करने वाली शर्तों में किसी भी तरह के बदलाव को सूचित करते रहना होगा। निर्धारित दरें टीएएमपी द्वारा अधिसूचित दरों से अधिक नहीं होंगी।

(xiii) उपयोगकर्ताओं को पत्तन के कारण उपयुक्त स्तर से अधिक देरी के लिए प्रभार अदा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(xiv) बर्थ, वाफर्स, मूरिंग, क्वे, जेटी आदि पर या उसके पास आने वाले या ठहरे हुए जहाजों और अन्य फ्लोटिंग क्राफ्ट्स के मास्टर्स, मालिकों या एजेंटों के मद्दे पोत संबंधित प्रभार वसूली योग्य हैं।

(xv) पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा पत्र संख्या पीटी-11033/51/2014-पीटी दिनांक 4 सितंबर, 2014 द्वारा महा पत्तनों में तटीय जहाजों की प्राथमिकता बर्थिंग पर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं:

(क) "तटीय जहाजों" को भारत में किसी भी पत्तन या स्थान से भारत में किसी भी पत्तन या स्थान के बीच व्यापार में विशेष रूप से नियोजित किसी भी जहाज, जिसके पास नौवहन महानिदेशक/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध तटीय लाइसेंस हो, के रूप में परिभाषित किया गया है।

(ख) एमओपीटी ड्राई बल्क/सामान्य कार्गो तटीय जहाजों को कम से कम एक घाट पर बर्थिंग की प्राथमिकता देगा ताकि कार्गो के मूल और अंतिम गंतव्य पर ध्यान दिए बिना भारत में एक पत्तन से भारत में दूसरे पत्तन तक शिपर्स को माल परिवहन करने में सक्षम बनाया जा सके। यह महा पत्तनों, यदि कोई हो, में पहले से मौजूद तटीय थर्मल कोयले की संभलाई के लिए समर्पित घाट के अतिरिक्त होगा।

(ग) एमओपीटी रियायती समझौतों और निजी टर्मिनलों पर विंडो बर्थिंग के मौजूदा आबंटन और पत्तनों द्वारा संचालित कंटेनर घाट की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट विंडो के माध्यम से तटीय कंटेनर जहाजों को प्राथमिकता बर्थिंग प्रदान करेगा।

(घ) पीओएल/तरल कार्गो टैंकरों के संबंध में, विभिन्न पत्तनों में प्रचलित ऐसी प्राथमिकताओं के संबंध में मौजूदा पद्धतियां जारी रहेंगी।

(ङ) तटीय जहाज जिन्हें प्राथमिकता बर्थिंग दी गई है, वे प्राथमिकता बर्थिंग प्रभार अदा नहीं करेंगे।

(च) उपर्युक्त प्राथमिकता के आधार पर घाट लगाए गए तटीय जहाज के अलावा तटीय जहाज की बर्थिंग पर कोई अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं होगा, यदि वह पत्तन की सामान्य बर्थिंग नीति के अधीन योग्य हो।

(छ) एक तटीय जहाज तटीय दरों पर पत्तन प्रभार अदा करेगा चाहे वह प्राथमिकता पर या अन्यथा बर्थ किया गया था।

(ज) पत्तन तटीय कार्गो की आवाजाही को और सुगम बनाने के लिए पत्तनों के कस्टम सीमाशुल्क बंधित क्षेत्र के बाहर तटीय कार्गो के लिए विशेष बर्थ, भंडारण क्षेत्र और गेटों को अभिचिह्नित किए जाने की संभावनाओं का पता लगाएगा।

(झ) पत्तन उस समय सीमा का स्पष्ट रूप से निर्धारण करेगा जिसमें एक तटीय जहाज को एक विशेष पत्तन में बर्थ किया जाएगा। कार्गो और बर्थ के आधार पर यह समय सीमा भिन्न हो सकती है। पत्तन एक विस्तृत कार्यवाही करेगा और एक व्यापार नोटिस जारी करेगा जिसमें उच्चतर समय सीमा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो जिसके भीतर एक तटीय जहाज को पत्तन में बर्थ दिया जाएगा। तटीय कंटेनर जहाजों के लिए एक विशिष्ट विंडो के माध्यम से प्राथमिकता बर्थिंग के संबंध में, पत्तन पीपीपी ऑपरेटर के साथ विस्तृत चर्चा करेगा और तटीय कंटेनर जहाजों के लिए विशिष्ट विंडो प्रकाशित करेगा। उपर्युक्त कार्यवाही और प्रकाशन को इन दिशानिर्देशों के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाना होगा।

(ज) पत्तन की एमआईएस द्वारा तटीय और विदेशी जहाजों के कार्गो के लिए अलग-अलग डाटा प्राप्त करना होगा। इस प्रकार एकत्र किए गए डाटा की निगरानी की जाएगी और आंतरिक रूप से पत्तन के साथ-साथ आईपीए और मंत्रालय को तटीय और विदेशी जहाजों के लिए अलग-अलग औपचारिक रूप से रिपोर्ट की जाएगी।

(xvi) पत्तनों में भीड़ कम करने और निर्यातकों/आयातकों को नियमित घंटों के बाद पत्तन सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, कार्गो और जहाजों से संबंधित सेवाओं के लिए कम प्रभार वसूल किए जा सकते हैं और साथ ही नियमित घंटों के बाद प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए पत्तन प्रभारों में विशेष छूट की दी जा सकती है।

[यह शर्त एमओएस के पत्र सं.पीडी/14033/101/2015-पीडी.वी दिनांक 3 फरवरी, 2016 के अनुसरण में शामिल की गई है, जिसके आधार पर इस प्राधिकरण द्वारा एक सामान्य अंगीकरण आदेश सं.टीएएमपी/14/2016-विविध दिनांक 16 फरवरी, 2016 को मंजूरी दी गई है।]

1.0 जहाज संबद्ध प्रभार

1.1 पत्तन देय राशि

क्रम सं.	विवरण	दर प्रतिजीआरटी प्रति प्रवेश	
		विदेशगामी जहाज (अ.डा.)	तटीय जहाज (₹)
1	जहाज	0.382	10.72

क्रम सं.	विवरण	दर(₹)	भुगतान की आवृत्ति
1	माल ढोने वाली नावें	6,809	प्रति वर्ष या उसका भाग
2	बंकर/पानी की नाव	6,809	प्रति वर्ष या उसका भाग
3	क्रीडा नौकाएं	11,347	प्रति वर्ष या उसका भाग

टिप्पणियाँ:

(i) जहाज के प्रत्येक प्रवेश के लिए पत्तन प्रभार लगाया जाएगा सिवाय तीस दिनों से अधिक समय तक पत्तन में रहनेवाले यानांतरकों/फ्लोटिंग क्रेनों/जहाजों को छोड़कर, जिसके मामले में उगाही तीस दिनों में एक बार होगी।

(ii) निम्नलिखित के मामले में उगाही नहीं की जाएगी:

(क) कोई भी जहाज, जो पत्तन से जा चुका है और मौसम के दबाव के कारण या इसके परिणाम स्वरूप कोई नुकसान होने की स्थिति में फिर से प्रवेश करने के लिए मजबूर होता है।

(ख) अन्य भारतीय भारतीय महा पत्तनों से संबंधित जहाज़।

(ग) देशी क्राफ्ट्स व फिशिंग ट्रॉलर।

(iii) बल्लास्ट में पत्तन में प्रवेश करने वाले और यात्रियों को नहीं ले जाने वाले जहाज पर पत्तन बकाया राशि का केवल 75% प्रभार वसूल किया जाएगा, जो वह अन्यथा प्रभार्य होगा।

(iv) एक जहाज जो पत्तन में प्रवेश करता है, लेकिन उसमें किसी भी कार्गो या यात्री/चालक दल को उतारना या ले जाना नहीं है (ऐसी उतराई और पुनः लदान, जोभी मरम्मत के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, के सिवाय) पत्तन बकाया का केवल 50% प्रभारित किया जाएगा जिसमें वह अन्यथा प्रभार्य होगा। हालांकि, मरम्मत के लिए पत्तन में आने वाले जहाज को उपरोक्त 1.1 के तहत प्रावधान किए अनुसार पत्तन बकाया का पूरा भुगतान करना होगा।

(v) अलग-अलग बलास्ट वाले तेल टैंकों के लिए, कम किया गया सकल टन भार को, जो इसके अंतर्राष्ट्रीय टन भार प्रमाणपत्र के 'टिप्पणी' कॉलम में दर्शाया गया हो, पत्तन बकाया की वसूली के प्रयोजन के लिए इसका सकल टन भार माना जाएगा।

(vi) बंकर लेने या बीमार चालक दल को उतारने के उद्देश्य से पत्तन में आने वाले किसी भी जहाज पर पत्तन बकाया का केवल 50% प्रभार वसूला जाएगा, जिसके लिए वह अन्यथा प्रभार्य होगा।

1.1.1 क्रूज जहाज:-

पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार ने एसएम-150112/2/2020-एमजी (Cno338503) दिनांक 14.08.2020 के माध्यम से सभी महा पत्तनों को सूचित किए अनुसार क्रूज जहाजों के लिए प्रशुल्क संरचना को युक्तिसंगत बनाया है। आईएनसीएलए द्वारा प्रस्तावित प्रभारों को माननीय एमओसी (आई/सी) द्वारा अनुमोदित किया गया है।

(i) पहले 12 घंटों के ठहराव के लिए क्रूज शिप के लिए पत्तन शुल्क 0.085 अमेरिकी डॉलर प्रति जीआरटी ("निश्चित दर") और \$5 प्रति यात्री ("हेड टैक्स") लिया जाएगा। पत्तन बर्थ किराया, पत्तन बकाया, पाइलटेज, यात्री शुल्क आदि जैसी कोई अन्य दर प्रभारित नहीं करेगा।

(ii) 12 घंटे से अधिक की अवधि के लिए, क्रूज जहाजों पर निश्चित प्रभार एसओआर के अनुसार देय बर्थ किराया प्रभार के बराबर होगा (क्रूज जहाजों के लिए लागू 40% छूट सहित)।

(iii) इसके अलावा, क्रूज जहाज, जो निम्नलिखित करते हैं:-

(क) 10% छूट पाने के लिए प्रति वर्ष 1-50 कॉल

(ख) 20% छूट पाने के लिए प्रति वर्ष 51-100 कॉल

(ग) 30% छूट पाने के लिए प्रति वर्ष 100 से अधिक कॉल

उपरोक्त युक्तिसंगत प्रशुल्क एक वर्ष की अवधि के लिए तुरंत प्रभावी होगा। इसके बाद, अगले दो वर्षों के लिए, प्रशुल्क को दो घटकों में विभाजित करके युक्तिसंगत बनाया जा सकता है जैसे कि जहाज के जीआरटी पर निश्चित दर और प्रति यात्री आधार पर शुल्क (मुख्य कर), अनुपात में, जिसे बाद में निश्चित किया जाना है। इस अवधि के दौरान प्रमात्रा छूट इस प्रकार होगी:

(क) 10% छूट पाने के लिए प्रति वर्ष 50-74 कॉल

(ख) 15% छूट पाने के लिए प्रति वर्ष 75-100 कॉल

(ग) 20% छूट पाने के लिए प्रति वर्ष 100 से अधिक कॉल

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एसडब्ल्यू -15011/2/2020- एमजी (सीसं. 338503), दिनांक 04-10-2022 के द्वारा कूज जहाजों के लिए प्रशुल्क के युक्तिकरण को 01-10-2022 से बढ़ाकर 30-09-2023 कर दिया है और प्रति यात्री मुख्य कर \$5 से \$6 तक तत्काल प्रभाव से बढ़ा दिया है ।

(iv) कूज जहाजों के लिए उपरोक्त दरें भारत सरकार के अगले आदेश तक लागू रहेंगी।

1.2. पायलटेज

(i) समेकित पाइलटेज-सह-टॉवेज शुल्क में पर्याप्त क्षमता के आवश्यक संख्या में टग/ लॉन्च सहित एक आवक और एक जावक संचलन और 'पत्तन सुविधा' के लिए जहाजों का स्थानांतरण शामिल है। जहाजों के अनुरोध पर स्थानांतरण के संबंध में अलग से स्थानांतरण प्रभार देने होंगे।

(ii) जहाज के आवक और जावक चरण के लिए निर्धारित दरों का 50% पायलटेज सह टोवेज वसूल किया जाएगा, जो प्रत्येक लैग (अर्थात) या तो विदेशगामी या तटीय पर जहाज की स्थिति पर निर्भर करता है।

(iii) पायलटेज निम्न के सिवाय सभी मामलों में प्रभार्य होगा:-

(क) जहां पोर्ट द्वारा कोई पायलट और टग सेवाएं प्रदान नहीं की जाती हैं।

(ख) 200 जीआरटी से कम के जहाजों के लिए

(iv) जहां किसी कारण से, पायलट की बोर्डिंग संभव न हो, लेकिन पायलटेज सेवाएं वीटीएमएस के माध्यम से दूरस्थ रूप से प्रदान की जाती हैं, तो पायलटेज प्रभार प्रभार्य है।

(v) जहाज जो पत्तन जलक्षेत्र में अक्सर नौसंचालित होता है, यथा ग्राह्य लाइसेंस शुल्कों का भुगतान करने पर पास पायलट/विशेष पायलट लाइसेंस के प्रावधान प्राप्त कर सकते हैं।

1.2.1 पायलटेज शुल्क

क्रम सं.	जीआरटी स्लैब	दर प्रति जीआरटी	
		विदेशगामी जहाज(अ.डा.)	तटीय जहाज (₹)
1	प्रथम 30000 जीआरटी	0.8147	22.35
2	30001 से 60000 जीआरटी	0.6518	17.89
3	60001 जीआरटी और ऊपर	0.5702	15.65

टिप्पणियां :

(क) हॉट मूव दरों की अनुसूची के अनुसार पायलटेज शुल्कों की वास्तविक दर।

(b) कोल्ड मूव दरों की अनुसूची के अनुसार पायलटेज शुल्कोंकी दरें दोगुनी करें, यदि (आंशिक या पूर्ण रूप से) दोनों आवक और जावक संचलन कोल्ड है । यदि केवल एक संचलन कोल्ड है, तो पायलटेज शुल्कोंकी दर का 1.5 गुना वसूल किया जाएगा।

1.2.2 स्थानांतरण शुल्क**क) ब्रेकवाटर के पूर्व में स्थानांतरणः**

क्रम सं.	जीआरटी स्लैब	दर प्रति जीआरटी प्रति स्थानांतरण कार्य	
		विदेशगामी जहाज (अ.डा.)	तटीय जहाज (₹)
1	प्रथम 30000 जीआरटी	0.2037	5.59
2	30001 से 60000 जीआरटी	0.1629	4.46
3	60001 जीआरटी और ऊपर	0.1427	3.91

ख) उपरोक्त (क) के अलावा सभी स्थानांतरण

क्रम सं.	जीआरटी स्लैब	दर प्रति जीआरटी प्रति स्थानांतरण कार्य	
		विदेशगामी जहाज (अ.डा.)	तटीय जहाज (₹)
1	प्रथम 30000 जीआरटी	0.4073	11.19
2	30001 से 60000 जीआरटी	0.3259	8.94
3	60001 जीआरटी और ऊपर	0.2851	7.83

टिप्पणियांः

(i) जलयान को स्ट्रीम से बर्थ या बर्थ से स्ट्रीम में स्थानांतरित करने या बर्थ या एंकरेज बदलने के लिए, अलग-अलग प्रभार वसूल किए जाते हैं। स्थानांतरण प्रभार स्थानांतरण के सभी कार्यों पर वसूल किए जाएंगे, जिसमें पायलट से जुड़े आवक और जावक संचलनों को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि, कोई स्थानांतरण प्रभार नहीं लगाया जाएगा जहां पत्तन द्वारा कोई पायलट और टग सेवाएं प्रदान नहीं की जाती हैं। ट्रांसशिपर्स/फ्लोटिंग क्रेन के मामले में, हालांकि, शिफ्टिंग के सभी कार्य प्रभार्य हैं।

(ii) पत्तन की सुविधा के लिए किए गए किसी भी स्थानांतरण प्रचालन के प्रभार वसूल नहीं जाएंगे।

'पत्तन सुविधा' को निम्न में से किसी के अर्थ में परिभाषित किया गया है:

(क) यदि बर्थ पर या एंकरेज/मूरिंग ब्वायों पर ड्रेजिंग कार्य/हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण कार्य करने या ड्रेजर के लिए बर्थ आबंटित करने या बर्थ की मरम्मत, रखरखाव और ऐसे अन्य समान कार्यों के लिए शिफ्टिंग/अनबर्थ किया जाता है, जिससे स्थानांतरण की आवश्यकता होती है, इस तरह के स्थानांतरण को "पत्तन सुविधा के लिए स्थानांतरण" माना जाएगा। ऐसे स्थानान्तरित जहाज (जहाजों) को बदलने के लिए किए गए स्थानांतरण को भी "पत्तन सुविधा के लिए स्थानांतरण" के रूप में भी माना जाएगा।

(ख) यदि किसी जहाज को आऊंस्टिंग बर्थ से हटाकर समायोजित करने के लिए स्थानांतरित किया जाता है,

(ग) यदि पत्तन सुविधा के संचालन के लिए किसी अन्य जहाज को समायोजित करने के लिए किसी जहाज को स्थानांतरित किया जाता है,

(घ) यदि किसी कार्यगत कार्गो जहाज को पत्तन सुविधा के लिए किसी अन्य बर्थ/मूरिंग डॉल्फिन में स्थानांतरित किया जाता है, और पत्तन पर आरोप्य कारणों से कार्गो प्रहस्तन संचालन नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे जहाजों पर निष्क्रिय एंकरेज प्रभारों की वसूली की जाएगी।

(iii) निम्नलिखित मामलों को "पत्तन सुविधा के लिए स्थानांतरण" के रूप में नहीं माना जाएगा"

(क) ट्रांसशिपर सहित गैर-कार्गो जहाज, जिन्हें कार्गो जहाजों के आने पर किसी भी स्थिति में बर्थ खाली करनी पड़ती है।

(ख) पोत जो बर्थ पर बिना किसी कार्गो संभलाई प्रचालन के निष्क्रिय पड़े हैं।

(ग) लगातार तीन पारियों की अवधि के लिए भारण/अभारण मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले जहाज ।

1.2.3 रद्दीकरण प्रभार:

पायलटों के मामले में, जिनकी सेवाएं को किसी भी आवागमन के लिए मांगी जाती है, परन्तु उपयोग नहीं की जाती है, नीचे दिए गए अनुसार प्रभार वसूल किए जाएंगे।

क्रम सं.	विवरण	विदेशगामी जहाज (अ.डा.)	तटीय जहाज (₹)
1	पायलट बुकिंग समय से 2 घंटे पहले प्राप्त रद्दीकरण	शून्य	शून्य
2	पायलट बुकिंग समय से 2 घंटे से कम समय पहले प्राप्त रद्दीकरण	567.00	17021.00
3	पायलट बोर्डिंग के बाद प्राप्त रद्दीकरण (यथा ग्राह्य अवरोधन प्रभारों के अतिरिक्त)	851.00	22695.00

टिप्पणियां:-

(i) यदि टग स्टेशन से निकल चुका है, तो उपरोक्त रद्दीकरण प्रभारों के अतिरिक्त प्रति टग 1.5.2 पर निर्दिष्ट टग किराया वसूल किए जाएंगे।

(ii) यदि जहाज के आवागमन के लिए बुकिंग को पत्तन के कारणों से रद्द किया जाता है तो रद्दीकरण प्रभार वसूल नहीं किए जाएंगे।

1.2.4 अवरोधन प्रभार

यदि जहाज पायलट के बोर्डिंग के 30 मिनट के भीतर नौसंचालन करने में असमर्थ रहता है, तो पायलट के जहाज पर चढ़ने के समय से अवरोधन प्रभार लागू होंगे।

क्रम सं.	विवरण	विदेश गामी जहाज (अ.डा.)	तटीय जहाज (₹)
1	प्रति घंटा या उसके भाग के लिए अवरोधन प्रभार	3639.8044	99856

टिप्पणियां:

(i) यदि बाहर जाने वाला कोई जहाज खराब मौसम के कारण पायलट को पत्तन सीमाओं से बाहर भेजता है, तो मास्टर द्वारा विदेशगामी जहाजों के मामले में प्रति दिन 567.00 अ.डा. और तटीय जहाज के मामले में ₹15,567.00 प्रति दिन के हिसाब से मुआवजे का भुगतान किया जाएगा जब तक कि जहाज पायलट पत्तन में ड्यूटी के लिए वापस रिपोर्ट नहीं करता। इसके अलावा, जहाज पर पायलट के रहने और खाने का खर्च और उसे पत्तन वापस भेजने का खर्च जहाज के मास्टर द्वारा देय होगा।

(ii) पत्तन के कारण लगने वाली समयावधि को अवरोधन प्रभारों की गणना के लिए नहीं गिना जाएगा।

(iii) जहाज, माल उतारने के बाद, सफाई के लिए पत्तन की सीमा से बाहर चला जाता है और पत्तन की सीमा में फिर से प्रवेश करता है, तो वहां पायलटेज प्रभार लागू होंगे। अगर ऐसे जहाजों की सफाई पत्तन सीमाओं के भीतर की जाती है तो स्थानांतरण प्रभार लागू होंगे।

1.3 घाट किराया प्रभार

1.3.1 घाट

क्रम सं.	दर प्रति जीआरटी प्रति घंटा या उसका भाग		
	जहाज का प्रकार	विदेशगामी जहाज (अ.डा.)	तटीय जहाज (₹)
1	कार्गो/क्रेन/कंटेनर जहाज, यानांतरक	0.0088	0.23
2	तरल बल्क जहाज	0.0136	0.38
3	भारतीय नौसेना/तटरक्षक जहाज	0.0808	2.21
4	अनुसंधान जहाज, सर्वेक्षण जहाज और अन्य जहाज	0.1077	2.95
5	विदेशी नौसेना/तटरक्षक जहाज	0.1718	4.72
6	प्रति कॉल के आधार पर बजरा	₹1000.00	

1.3.2 मूरिंग डालफिन

क्रम सं.	दर प्रति जीआरटी प्रति घंटा या उसका भाग		
	जहाज का प्रकार	विदेश गामी जहाज (US \$)	तटीय जहाज (₹)
1	कार्गो/कंटेनर जहाज/यानांतरक	0.0044	0.12
2	तरल बल्क जहाज	0.0068	0.18
3	भारतीय नौसेना/तटरक्षक जहाज	0.0605	1.67
4	अनुसंधान जहाज, सर्वेक्षण जहाज और अन्य जहाज	0.0806	2.22
5	विदेशी नौसेना/तटरक्षक जहाज	0.1288	3.53

टिप्पणियां:

(i) उस अवधि के लिए कोई घाट किराया नहीं वसूल किया जाएगा जब जहाज पत्तन के उपकरण के खराब होने या बिजली की विफलता या किसी अन्य कारण से रात्रि नौसंचालन और खराब मौसम के अधीन पत्तन के लिए जिम्मेदार किसी अन्य कारण से लगातार एक घंटे या उससे अधिक समय तक अपने घाट पर निष्क्रिय रहता है।

(ii) उपरोक्त प्रभार घाटों, वार्फों, मूरिंग, क्वे, जेटी आदि पर या उसके पास आने वाले या पड़े जहाजों और अन्य प्लावी जलयानों के मास्टरों, मालिकों या एजेंटों पर प्रति जीआरटी प्रति घंटे या उसके भाग, वसूला जाएगा।

(iii) घाट किराया/मूरिंग डॉल्फिन प्रभार लागू होंगे यदि एक गैर-कार्यशील जहाज को पत्तन सुविधा के लिए किसी घाट/मूरिंग डॉल्फिन में स्थानांतरित किया जाता है।

1.4 लंगरगाह प्रभार

लंगरगाह प्रभार सभी जहाजों पर लागू होंगे।

1.4.1 कार्यशील लंगरगाह

क्रम सं.	विवरण	दर प्रति जीआरटी प्रति घंटा या उसका भाग	
		सरणी में स्वयं का लंगर	
		विदेशगामी जहाज (अ.डा.)	तटीय जहाज (₹)
1	कार्गो/कंटेनर जहाज/यानांतरक	0.0017	0.04
2	तरल बल्क जहाज	0.0027	0.07

1.4.2 निष्क्रिय लंगरगाह

क्रम सं.	विवरण	दर प्रति जीआरटी प्रति घंटा या उसका भाग	
		सरणी में स्वयं का लंगर	
		विदेशगामी जहाज (अ.डा.)	तटीय जहाज (₹)
1	कार्गो/क्रूज/कंटेनर जहाज/यानांतरक	0.0009	0.03
2	तरल बल्क जहाज	0.0014	0.04
3	भारतीय नौसेना/तटरक्षक जहाज और अनुसंधान जहाज, सर्वेक्षण जहाज, आदि सहित अन्य जहाज	0.0269	0.73
4	विदेशी नौसेना/तटरक्षक जहाज	0.043	1.19

भाग 1.3 और 1.4 के लिए समान टिप्पणियां:-

(i) घाट किराये में घाट पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रभार शामिल हैं, जैसे कि घाट अधिभोगिता घाट पर समयोपरि, टेलीफोन, कूड़ा-करकट हटाना, घाट की सफाई, फायर वाच आदि।

(ii) 1 घंटे की अवधि जहाज द्वारा घाट/लंगरगाह अधिग्रहित किए जाने के समय से गिनती की जाएगी।

(iii) (क) बर्थ किराया जहाज के नौचालन के लिए तैयार होने का संकेत देने के समय के 4 घंटे बाद बंद हो जाएगा।

(ख) घाट किराए की समाप्ति के लिए निर्धारित 4 घंटे की समय सीमा में अनुकूल ज्वारीय परिस्थितियों, खराब मौसम और रात्रि नौसंचालन की कमी के कारण जहाज का प्रतीक्षा समय शामिल नहीं होगा।

(ग) जहाज का मास्टर/एजेंट केवल अनुकूल ज्वारीय और मौसम की स्थिति के अनुसार ही नौकायन के लिए तैयार होने का संकेत देगा।

(घ) झूठे संकेत के लिए एक दिन के घाट किराया प्रभार के बराबर दंडात्मक घाट किराया होगा।

"झूठा संकेत" तब होगा जब एक जहाज तत्परता का संकेत देता है और इस अनुमान से पायलट की मांग करता है, जब वह इंजन के तैयार न होने या कार्गो संचालन पूरा नहीं होने या जहाज से संबंधित ऐसे कारणों की वजह से जहाज अन-बर्थिंग के लिए तैयार न हो।

इसमें सिग्नलिंग तत्परता शामिल नहीं है जब एक जहाज प्रतिकूल ज्वार, रात्रि नौसंचालन की कमी या प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण नौचालन करने में सक्षम नहीं होता है।

(ड) पत्तन से पूर्व अनुमति के बिना एक जहाज/बजरा/जलयान, बर्थिंग/अनबर्थिंग, एक दिन के घाट किराया/कॉल प्रभार, जैसा भी मामला हो, के बराबर दंडात्मक घाट किराया आकर्षित करेगा।

(iv) यदि कोई जहाज/बजरा कार्गो के पूरा होने या एमओपीटी द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा घाट खाली करने के लिए दी गई नोटिस की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, 3 घंटे के भीतर घाट खाली करने के लिए तैयार नहीं है, तो जहाज सामान्य दर से पांच गुना अतिरिक्त घाट किराया प्रभार अदा करेगा, घटना को प्रति घंटे या उसके हिस्से तक घटाया जा सकता है।

(v) घाट पर डिबैलास्टिंग का समय 3 घंटे का होगा और उससे अधिक का दंडात्मक घाट किराया प्रभार सामान्य घाट किराया प्रभार के पांच गुना वसूल किया जाएगा, घटना को प्रति घंटे या उसके हिस्से तक घटाया जा सकता है, यानी बिना किसी पूरक प्रभार या छूट के जो जहाज पर लागू किया जा सकता है। यह घाट पर जहाजों के ठहराव की संपूर्ण अवधि के लिए लागू सामान्य घाट किराया प्रभारों के अतिरिक्त होगा।

(vi) घाट पर दूसरे जहाज के ऑफ-साइड में खड़े जहाज के लिए जहाजों द्वारा देय प्रभार का 50% घाट किराया प्रभार प्रभार्य होगा।

(vii) प्राथमिकता बर्थिंग

(क) किसी भी जहाज को "प्राथमिकता बर्थिंग" प्रदान करने के लिए, एक दिन के लिए घाट किराया प्रभार के बराबर शुल्क या बर्थ पर वास्तविक ठहराव की कुल अवधि के लिए परिकल्पित घाट किराया प्रभारों का 75%, जो भी अधिक हो, वसूल किया जाएगा।

(ख) तटीय जहाज जिन्हें प्राथमिकता बर्थिंग दी गई है, उन्हें प्राथमिकता बर्थिंग प्रभार अदा नहीं करने होंगे।

(viii) ऑस्टिंग प्राथमिकता बर्थिंग

(क) जहाज को ऑस्टिंग प्राथमिकता देने के लिए, एकल दिवस के लिए घाट किराया प्रभारों के समतुल्य शुल्क या घाट पर जहाजों के वास्तविक ठहराव की कुल अवधि के लिए परिकल्पित घाट किराया प्रभारों का 100%, जो भी अधिक हो, वसूल किया जाएगा।

(ख) इसके अलावा, बाहर जाने वाले जहाजों के बाहर जाने/अंदर आने और उन पर लागू लंगरगाह प्रभार उन जहाजों से वसूल किया जाएगा, जिन्हें ऑस्टिंग की प्राथमिकता प्रदान की जाती है। इस तरह के प्रभार आऊस्टड जहाज पर लागू विनिमय दर पर आधारित होंगे।

(ग) पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जिस जहाज के लिए विशेष छूट प्रदान की गई है, उसे ऑस्टिंग प्राथमिकता प्रभारों के भुगतान से छूट प्रदान की जाएगी।

(ix) भारतीय तटरक्षक जहाजों और भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए निष्क्रिय लंगरगाह प्रभारों में केवल तभी छूट दी जाती है जब जहाज गश्त कर रहे हों, न कि तब जब वे वास्तव में लंगर डाल रहे हों।

1.5 विविध सेवाएं**1.5.1 जहाजों को पानी की आपूर्ति****1.5.1.1 जहाजों को पानी की आपूर्ति के लिए प्रभार**

क्रम सं.	स्थान	दर प्रति 1000 लीटर	
		विदेशगामी जहाज (अ.डा.)	तटीय जहाज (₹)
1	घाट पर	8.7591	240.33
2	बजराओं द्वारा		
	(क). ब्रेक वाटर के भीतर	11.7928	323.61
	(ख). ब्रेक वाटर से आगे	15.1611	415.99

1.5.1.2 नाव के स्टेशन से चले जाने के बाद जलापूर्ति रद्द करने के लिए प्रभार

क्रम सं.	विवरण	विदेशगामी जहाज (अ.डा.)	तटीय जहाज (₹)
1	ईओबी में आपूर्ति के लिए	159.0469	4363.68
2	डब्ल्यूओबी में आपूर्ति के लिए	318.0795	8727.46

1.5.1.3 जल बजरा के लिए अवरोधन प्रभार

क्रम सं.	विवरण	विदेश गामी जहाज(US \$)	तटीय जहाज (₹)
1	ईओबी में आपूर्ति के लिए	79.5207	2181.85
2	डब्ल्यूओबी में आपूर्ति के लिए	159.0398	4363.78

टिप्पणियां:

बजरा द्वारा जलापूर्ति के लिए न्यूनतम मांग के लिए प्रभार डब्ल्यूओबी पर 50 टन या ईओबी पर 25 टन होगा। तथापि, यदि जल की कमी के कारण पत्तन द्वारा कम मात्रा की आपूर्ति की जा रही है तो प्रभार मात्रा के अनुसार होंगे।

1.5.2 फ्लोटिला किराया प्रभार

क्रम सं.	विवरण	दर प्रति घंटा या उसका भाग (ईंधन और ल्यूब्रिकेंट्स सहित)	
		विदेशगामी जहाज (अ.डा.)	तटीय जहाज (₹)
1	पत्तन सीमाओं के भीतर जहाजों की बर्थिंग, अनबर्थिंग, शिफ्टिंग और टॉवेज की सहायता के अलावा प्रचालन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला टग	1213.2681	51063
		विदेशगामी जहाज दर प्रति घंटा या उसका भाग (₹)	तटीय जहाज दर प्रति घंटा या उसका भाग(₹)
2	लांच किराया प्रभार	17020.975	10212
3	सर्वेक्षण कार्य के लिए लांच किराया प्रभार (सर्वेक्षण विभाग की मैनपावर लागत अतिरिक्त)	34041.949	20425

2.0 कार्गो सम्बन्ध प्रभार**2.1 घाट पर घाट शुल्क****2.1.1 ड्राई बल्क कार्गो**

क्रम सं.	वस्तुओं का विवरण	दर प्रति टन (₹)	
		विदेशी नौभार	तटीय नौभार
1	लौह अयस्क फाइन्स/लम्पी	29.38	29.38
2	लौह अयस्क गुटिकाएं	33.06	33.06
3	पिंड अयस्क	58.77	35.26
4	बॉक्साइट/मैंगनीज	33.06	19.83
5	सीमेंट/क्लिंगर/चूना पत्थर/जिप्सम/निकल/एल्यूमिना/बेंटोनाइट/स्लैग	51.42	30.85
6	उर्वरक/उर्वरक कच्चा माल/रॉक फास्फेट	61.21	36.73
7	चीनी, खाद्यान्न, तिलहन, अनाज और सभी प्रकार की दालें आदि।	48.97	29.38
8	वूड चिप्स	48.97	29.38
9	भाप (थर्मल) कोयला और इसके प्रकार	67.34	67.34
10	सभी प्रकार का कोक/ स्लैग	67.34	40.40
11	सभी प्रकार के स्क्रेप	67.34	40.40
12	रेत	51.42	30.85
13	पशुधन बकरी, भेड़ (प्रत्येक इकाई)	31.94	19.16
14	चारा	5.32	3.19
15	सोडा पाउडर	67.34	40.40
16	ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं किया गया कार्गो	100.00	60.00

2.1.2 ब्रेक बल्क नौभार

क्रम सं.	वस्तुओं का विवरण	दर प्रति टन (₹)	
		विदेशी नौभार	तटीय नौभार
1	सभी प्रकार के वायर रोल/स्टील कॉइल	62.44	37.46
2	स्लैब/बार्स/सिल्लियां/पाइप और सभी प्रकार के प्लेट/टिंबर/ वूडन लॉग्स	80.80	48.48
3	ग्रेनाइट/मार्बल	62.44	37.46
4	खनिज और पैलेट आदि में सभी प्रकार के अयस्क	62.44	37.46
5	मशीनरी और परियोजना कार्गो	323.22	193.92
6	वास्तविक यात्रियों के साथ सामान और निजी सामान नहीं है	6.04	3.62
7	ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं किया गया कार्गो	300.00	180.00

2.1.3 तरल बल्क कार्गो

क्रम सं.	वस्तुओं का विवरण	दर प्रति टन (₹)	
		विदेशी कार्गो	तटीय कार्गो
1	पेट्रोलियम, तेल और ल्युब्रिकेंट्स और पीओएल उत्पाद	532.30	532.30
2	कास्टिक सोडा	105.29	63.17
3	तरल अमोनिया	230.17	138.10
4	सभी प्रकार के अम्ल	156.71	94.03

5	एलपीजी/एलएनजी	428.50	257.10
6	खाने योग्य तेल	105.29	63.17
7	मोलासिस	69.78	41.87
8	ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं किया गया कार्गो	500.00	300.00

टिप्पणियां:

(i) ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं किए गए किसी भी कार्गो को शुरू में प्रासंगिक सीमा शुल्क वर्गीकरण के अनुसार समूहीकृत किया जाएगा, अन्यथा वर्गीकरण, कार्गो की प्रकृति (घनत्व, भंडारण और संचालन आदि) के आधार पर होना चाहिए। यदि इस तरह के कार्गो को उपरोक्त किसी भी वर्गीकरण के तहत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है तो "ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं किए गए कार्गो" पर लागू दर लागू होगी।

(ii) प्रभारित किया जाने वाला वजन कम से कम एक (1) टन के अधीन होगा। उसके किसी भी दशमलव को अगले उच्चतर टन में पूर्णांकित किया जाना है।

(iii) जहाज, जो लैंडिंग स्थान के बगल में हो, से सामान, लैंडिंग स्थान से गुजरे बिना लाइटर जहाज में या इसके विपरीत, जहाज पर चढ़ाया जाता है, घाट शुल्क दरों का 75% वसूल किया जाएगा।

(iv) सरणी में संभलाए जाने पर, सभी वस्तुओं पर घाटशुल्क, घाट पर लागू दरों के 60% दर पर प्रभारित किया जाएगा। यद्यपि, अगर ड्राफ्ट प्रतिबंधों के कारण डब्ल्यूओबी पर जहाज को हल्का किया जाता है और उसी कार्गो को पत्तन के घाट (पीपीपी संचालित टर्मिनलों को छोड़कर) में लाया जाता है, तो सरणी में संभाले गए कार्गो के लिए कोई घाट शुल्क लागू नहीं होगा।

(v) पोतांतरण कंटेनरों/कार्गो के लिए घाटशुल्क प्रभार रियायती होंगे। भारण या अभारण चक्र में सामान्य संभलाई प्रचालन के लिए ऐसे शुल्क 1.5 गुना से अधिक नहीं होंगे। तटीय कंटेनरों/कार्गो के पोतांतरण के मामले में, लदान या उतराई चक्र में सामान्य संभलाई प्रचालन के लिए तटीय कंटेनरों/कार्गो के लिए लागू संभलाई प्रभारों के संदर्भ में संभलाई प्रभारों में रियायत की गणना की जाएगी। यानांतरण के लिए कंटेनरों/कार्गो की घोषणा इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट (आईजीएम) दाखिल करते समय की जाएगी। यानांतरण के लिए बने ऐसे कंटेनर/कार्गो को उनके उतरने की तारीख से सात दिनों के भीतर यानांतरित किया जाएगा।

(vi) कोई भी उपकरण/मशीनरी जैसे हथियाने, व्हील-लोडर, फोर्कलिफ्ट आदि (चल/अचल), जो सरणी में या मूरिंग डॉल्फिन पर भारण/अभारण प्रचालन करने के लिए या घाट पर प्रचालन करने के लिए बजरा/जहाजों पर भारित किए जाते हैं, पर घाट शुल्क नहीं लिया जाएगा।

(vii) रक्षा भंडार" में शामिल होंगे, 'बम, ग्रेनेड, टारपीडो, खदानें, मिसाइलें, और समान युद्ध सामग्री और उसके पुर्जे: हथियार, गोला-बारूद, पुर्जे और सामान के अंतर्गत आनेवाले कारतूस और अन्य गोला-बारूद और प्रोजेक्टाइल और उनके हिस्से, जिसमें शॉट और कार्ट्रिज वाड शामिल हैं लेकिन "उसके भागों के संदर्भ में भारत के सीमा शुल्क टैरिफ के अध्याय 93 के नोट संख्या 2 के अनुसार रेडियो या रडार उपकरण शामिल नहीं हैं।

(viii) रो-रो जहाज के माध्यम से वाहनों के तटीय परिवहन के लिए जहाजों से संबंधित प्रभारों और कार्गो संबंधी प्रभारों पर 80% की छूट।

2.1.4 भार तोलन प्रभार

क्रमसं.	विवरण	दर(₹में)	इकाई
1	रेल/सड़क वेब्रिजिस के लिए तौल प्रभार	6.39	प्रति टन

2.1.5 धूल दमन उगाही

कार्गो प्रकार	इकाई	घाट	एमडी
		दर (₹)	दर (₹)
ड्रायबल्क	टन	6.39	3.195
ब्रेक बल्क	टन	2.13	1.065
कंटेनर	टीईयू	2.13	1.065

टिप्पणियां: डब्ल्यूओबी और पीपीपी घाट पर संभलाए गए कार्गो के लिए लागू नहीं है।

2.2 कंटेनर संभलाई प्रभार**2.2.1 जहाज के गियर्स के उपयोग हेतु समग्र संभलाई प्रभार**

क्रम सं.	विवरण	दर प्रति कंटेनर (₹ में)					
		विदेशी			तटीय		
		20'	40'	40' से ऊपर	20'	40'	40' से ऊपर
1	भारित कंटेनर	3606.76	4540.89	5403.52	2164.06	2724.53	3966.11
2	खाली कंटेनर	2113.12	2299.22	2416.24	1267.87	1379.53	2173.74
3	खतरनाक कंटेनर	4505.14	5906.34	7200.28	3246.09	4086.80	5044.17

टिप्पणियां:

(i) ऊपर निर्धारित प्रभारों में कंटेनर के लिए घाट शुल्क सहित कंटेनरीकृत कार्गो पर घाट शुल्क और रीच स्टेकर/ट्रेलरों का उपयोग कर घाट से कंटेनर यार्ड या इसके विपरीत कंटेनरों की आवाजाही के लिए प्रभार और यार्ड में कंटेनरों की डिलीवरी/प्राप्ति शामिल है।

(ii) एमओपीटी के सीमा शुल्क सत्यापन के लिए यानांतरण परमिट के तहत पत्तन में लाए गए कंटेनरों के लिए प्रति कंटेनर ₹ 5,323/- प्रभार वसूल किया जाएगा। इसके अलावा, ऐसे कंटेनरों के लिए रीच स्टेकर संचलन के लिए प्रभार लागू होंगे।

2.2.2. सीमाशुल्क सीमाबद्ध क्षेत्र के बाहर कंटेनर भंडारण प्रभार

केवल बोगदा क्षेत्र के लिए सीमाशुल्क क्षेत्र के बाहर प्रभारों में 15% वार्षिक वृद्धि की जाएगी।

आयात कंटेनरों के लिए निःशुल्क समय - 20 दिन

निर्यात कंटेनरों के लिए निःशुल्क समय - 20 दिन

क्रमसं.	अवधि	दर प्रति कंटेनर प्रति दिन या उसका भाग	
		विदेशगामी जहाज (US \$)	तटीय जहाज (₹)
		1	निशुल्क अवधि के बाद पहले 5 दिनों के लिए
	- 20 फीट तक	1.1722	53.80
	- 20 फीट से ऊपर 40 फीट तक	2.3445	107.40

	- 40 फीट से ऊपर	3.5166	161.40
2	6वें दिन से 15वें दिन तक		
	- 20 फीट तक	1.7583	80.70
	- 20 फीट से ऊपर 40 फीट तक	3.5168	161.10
	- 40 फीट से ऊपर	5.2749	242.10
3	16वें दिन से 30वें दिन तक		
	- 20 फीट तक	2.3444	107.60
	- 20 फीट से ऊपर 40 फीट तक	4.6890	214.80
	- 40 फीट से ऊपर	7.0332	322.80
4	31वें दिन से		
	-20 फीट तक	3.5166	161.40
	- 20 फीट से ऊपर 40 फीट तक	7.0335	322.20
	- 40 फीट से ऊपर	10.5498	484.20

2.2.3 सीमाशुल्क बंधित क्षेत्र में कंटेनर भंडारण प्रभार

आयात कंटेनरों के लिए निःशुल्क समय - 3 दिन

निर्यात कंटेनरों के लिए निःशुल्क समय - 7 दिन

क्रमसं.	अवधि	दर प्रति कंटेनर प्रति दिन या उसका भाग	
		विदेशगामी जहाज (अ.डा.)	तटीय जहाज (₹)
1	निशुल्क अवधि के बाद पहले 5 दिनों के लिए		
	- 20 फीट तक	2.3445	107.40
	- 20 फीट से ऊपर 40 फीट तक	4.6889	214.79
	- 40 फीट से ऊपर	7.0335	322.20
2	6वें दिन से 15वें दिन तक		
	- 20 फीट तक	3.5168	161.10
	- 20 फीट से ऊपर 40 फीट तक	7.0334	322.19
	- 40 फीट से ऊपर	10.5504	483.30
3	16वें दिन से 30वें दिन तक		
	- 20 फीट तक	4.6890	214.80
	- 20फीट से ऊपर 40फीट तक	9.3778	429.58
	- 40 फीट से ऊपर	14.0670	644.40
4	31वें दिन से		
	- 20 फीट तक	7.0335	322.20
	- 20 फीट से ऊपर 40 फीट तक	14.0667	644.37
	- 40 फीट से ऊपर	21.1005	966.60

टिप्पणियां:

(i) आयात कंटेनरों के लिए निःशुल्क विराम समय (भंडारण) अवधि कंटेनर की उतराई के दिन के बाद के दिन से शुरू होगी और निर्यात कंटेनरों के लिए निःशुल्क अवधि कंटेनर के टर्मिनल में प्रवेश करने के समय से शुरू होगी।

(ii) निःशुल्क विराम समय (भंडारण) की अनुमति सीमा शुल्क अधिसूचित अवकाश दिवस और पत्तन के गैर-कार्य दिवसों के अलावा होगी।

(iii) खतरनाक कंटेनरों के मामले में संभलाई और भंडारण प्रभार पर 50% की सीमा तक प्रीमियम लगाया जाएगा। ओवर-डायमेंशनल कंटेनरों के संबंध में संभलाई प्रभार पर 50% तक का प्रीमियम लगाया जा सकता है।

(iv) परित्यक्त एफसीएल कंटेनरों/ पोतवणिक के स्वामित्व वाले कंटेनरों पर भंडारण प्रभार लिखित रूप में परित्याग की सूचना की प्राप्ति की तारीख तक या कंटेनर की उतराई की तारीख से 75 दिनों तक, जो भी पहले हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन वसूल किए जाएंगे:

(क) परेषिती किसी भी समय परित्याग पत्र जारी कर सकता है

(ख) यदि परेषिती ऐसा परित्याग पत्र जारी नहीं करने का विकल्प चुनता है, तो कंटेनर एजेंट/एमएलओ भी परित्याग पत्र जारी कर सकता है, बशर्ते कि,

(i) लाइन कार्गो के साथ कंटेनर की संरक्षा फिर से शुरू करेगी और या तो इसे वापस ले लेगी या पत्तन परिसर से हटा देगी; तथा

(ii) लाइन कंटेनर की संरक्षा फिर से शुरू करने से पहले कार्गो और कंटेनर पर प्रोदभूत सभी पत्तन प्रभारों का भुगतान करेगी।

(ग) कंटेनर एजेंट/एमएलओ आवश्यक औपचारिकताओं का पालन करेगा और परिवहन और खाली करने की लागत वहन करेगा। निर्धारित अवधि के भीतर इस तरह की कार्रवाई करने में उनकी विफलता के मामले में, कंटेनर पर भंडारण प्रभार उस समय तक जारी रखा जाएगा जब तक कि कार्गो को खाली करने के लिए शिपिंग लाइनों द्वारा सभी आवश्यक कार्रवाई नहीं की जाती है।

(घ) जहां कंटेनर को सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त/अधिग्रहित कर लिया जाता है और उसे 75 दिनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर खाली नहीं किया जा सकता है, वहां भंडारण प्रभार सीमा शुल्क आदेश की तारीख से लागू होना बंद हो जाएगा, बशर्ते कि लाइनों द्वारा आवश्यक औपचारिकताओं का अनुपालन करना होगा और परिवहन और खाली करने की लागत वहन करनी होगी। अन्यथा, जब्त/अधिग्रहित किए गए कंटेनरों को लाइन/परेषिती द्वारा पत्तन परिसर से सीमा शुल्क बंधित क्षेत्र में हटा दिया जाएगा और उस मामले में भंडारण प्रभार ऐसे हटाने की तारीख से लागू होना बंद हो जाएगा।

(v) कंटेनर पर भंडारण प्रभार उस अवधि के लिए प्रोदभूत नहीं होगा जब पत्तन उपयोगकर्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर कंटेनर को डिलीवर/शिप करने की स्थिति में नहीं होता है।

(vi) यदि परिचालन क्षेत्र उपयोगकर्ताओं को किराये पर पट्टे पर दिया जाता है, तो कार्गो/कंटेनर पर भंडारण प्रभार वसूल नहीं किया जाएगा।

(vii) जब भी कोई कंटेनर निर्यात के लिए लाया जाता है, यदि जहाज पर भारण किए बिना पत्तन से बाहर ले जाया जाता है, तो कोई निःशुल्क दिन नहीं दिया जाएगा। साथ ही, भंडारण प्रभार और दो रीच स्टेकर संचलन एसओआर के अनुसार लागू होंगे।

2.2.4 अतिरिक्त संचलन के लिए रीच स्टेकर प्रभार

क्रम सं.	विवरण	प्रति संचलन दर (₹)
1	रीच स्टेकर	905.00

टिप्पणियां: किराएदार के लिए केवल पत्तन के रीच स्टेकर का उपयोग करना अनिवार्य है बशर्ते कि ऐसी स्थितियों में इसकी उपलब्धता हो, परंतु जब रीच स्टेकर की मांग की जाती है, लेकिन किन्हीं कारणों जैसे कि अनुरक्षण, ओवरहाल मरम्मत, दूसरे पक्ष द्वारा किराए पर लिए जाने के लिए अनुपलब्धता आदि, एमओपीटी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित, से उपलब्ध करवाने की स्थिति में नहीं हो, तो परिचालन के लिए निजी उपकरणों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी।

2.2.5 रीफर प्वाइंट प्रभार

क्रम सं.	विवरण	दर प्रति कंटेनर प्रति 4 घंटे या उसके भाग (\$)
1	20' तक की लंबाई का कंटेनर	4.2533
2	20' से अधिक लंबाई का कंटेनर	5.6800

टिप्पणियां:- रीफर प्रभारों के मामले में, दरें राज्य विद्युत बोर्ड/विद्युत आपूर्तिकर्ता द्वारा यथा संशोधित विद्युत दरों में वृद्धि के अनुपात में संशोधित मानी जाएंगी।

कंटेनर संभलाई प्रभार से संबंधित अनुसूची 2.2 के लिए सामान्य नोट:

प्रयोक्ताओं के लिए उत्तरदायी कारणों से कंटेनरों के स्थानांतरण के लिए कोई स्थानांतरण प्रभार नहीं होगा।

2.2.6 अनिवार्य प्रयोगकर्ता प्रभार

1. महापत्तन न्यासों और बीओटी टर्मिनलों पर संचालित सभी कंटेनरों (ट्रांसशिपमेंट और तटीय को छोड़कर) पर नेशनल इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर डिवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनआईसीडीसी) द्वारा दी जानेवाली लॉजिस्टिक डाटा बैंक (एलडीबी) सेवा हेतु अनिवार्य प्रयोगकर्ता प्रभार (एमयूसी) प्रति कंटेनर ₹ 170/- (जीएसटी को छोड़कर) की उगाही की जाएगी।

2. प्रति कंटेनर ₹ 170/- का एमयूसी प्रभार दिनांक 27.10.2024 तक लागू रहेगा ।

2.3 कार्गो भंडारण प्रभार

(i) "जहाज पूर्णता दिवस (वीसीडी)" का अर्थ उस दिन से है जिस दिन जहाज का प्रचालन पूरी तरह से पूरा हो जाता है। दिन की गणना प्रातः 7.30 बजे से अगले दिन प्रातः 7.30 बजे तक की जाएगी।

2.3.1 सीमाबद्ध क्षेत्र के बाहर कार्गो भंडारण प्रभार

2.3.1.1 आयात

(i) **निशुल्क अवधि** - कार्गो की आयात के लिए निशुल्क अवधि जहाज पूर्णता दिवस से शुरू होगी। निःशुल्क अवधि का निर्धारण जहाज की प्रकट मात्रा के आधार पर उस कार्गो के लिए निर्दिष्ट वितरण दर से विभाजित करके निकटतम पूर्णांक तक किया जाएगा।

(ii) ड्राई बल्क कार्गो की आयात के लिए वितरण दर प्रति दिन 1000 टन होगी।

(iii) ब्रेक बल्क कार्गो की आयात के लिए वितरण दर प्रति दिन 750 टन होगी।

(iv) 10,000 मेट्रिक टन तक के छोटे पार्सल आकार के लिए निम्नलिखित निःशुल्क अवधि अपनाई जाएगी:

कार्गो मात्रा	निःशुल्क अवधि
5000 एमटी तक	7 दिन
5000 से अधिक लेकिन 10000 एमटी से कम	10 दिन

(v) विलंब शुल्क - निः शुल्क अवधि की समाप्ति के बाद विलंब शुल्क नीचे दी गई दरों पर देय होगा:

अवधि (निः शुल्क अवधि की समाप्ति के बाद)	खुला प्लॉट	आच्छादित भंडारण (शेड)
	दर प्रति टन प्रति दिन (₹)	दर प्रति टन प्रति दिन (₹)
1 - 10 दिन	6.00	6.60
11 - 20 दिन	13.00	14.30
21 - 30 दिन	26.00	28.60
31वें दिन से	51.00	56.10

2.3.1.2 निर्यात

(i) निशुल्क अवधि - कार्गो की निर्यात के लिए निशुल्क अवधि निर्यात हेतु कार्गो जमा करने की तारीख से शुरू होगी। निःशुल्क अवधि का निर्धारण पोत की प्रकट मात्रा के आधार पर उस कार्गो के लिए निर्दिष्ट वितरण दर से विभाजित करके निकटतम पूर्णांक तक किया जाएगा।

(ii) ड्राई बल्क कार्गो की निर्यात के लिए वितरण दर प्रति दिन 1000 टन होगी।

(iii) ब्रेक बल्क कार्गो की निर्यात के लिए वितरण दर प्रति दिन 750 टन होगी।

(iv) 10,000 मेट्रिक टन तक के छोटे पार्सल आकार के लिए निम्नलिखित निःशुल्क अवधि अपनाई जाएगी:

कार्गो मात्रा	निःशुल्क अवधि
5000 एमटी तक	7 दिन
5000 से अधिक लेकिन 10000 एमटी से कम	10 दिन

(v) विलंब शुल्क - निः शुल्क अवधि की समाप्ति के बाद विलंब शुल्क नीचे दी गई दरों पर देय होगा:

अवधि (निः शुल्क अवधि की समाप्ति के बाद)	खुला प्लॉट	कवर्ड स्टोरेज (शेड)
	दर प्रति टन प्रति दिन (₹)	दर प्रति टन प्रति दिन (₹)
1 - 15 दिन	1.00	1.10
16 - 30 दिन	3.00	3.30
31वें दिन से	6.00	6.60

(vi) यदि कार्गो को सीमाशुल्क बंधित भंडारण क्षेत्र के बाहर से सीमाशुल्क बंधित भंडारण क्षेत्र के अंदर स्थानांतरित किया जाता है तो कुल निः शुल्क दिन सीमाशुल्क बंधित क्षेत्र के भीतर भंडारण के लिए निर्दिष्ट निः शुल्क दिनों से अधिक नहीं होंगे। ऐसे मामलों में जहां कार्गो पहले ही सीमाशुल्क बंधित क्षेत्र के भीतर भंडारण के लिए विनिर्दिष्ट निः शुल्क दिनों से अधिक दिन प्राप्त कर चुका है, तो विलंब शुल्क प्रभार सीमाशुल्क बंधित क्षेत्र के भीतर उतराई के दिन से शुरू होगा।

2.3.2 सीमाशुल्क बंधित क्षेत्र के भीतर कार्गो भंडारण प्रभार**2.3.2.1 आयात**

(i) **निशुल्क अवधि** - कार्गो की आयात के लिए निशुल्क अवधि जहाज पूर्णता दिवस से शुरू होगी। निःशुल्क अवधि का निर्धारण जहाज की विनिहित मात्रा के आधार पर उस कार्गो के लिए विनिर्दिष्ट वितरण दर से विभाजित करके निकटतम पूर्णांक तक किया जाएगा।

(ii) ड्राई बल्क कार्गो की आयात के लिए वितरण दर प्रति दिन 1000 टन होगी।

(iii) ब्रेक बल्क कार्गो की आयात के लिए वितरण दर प्रति दिन 750 टन होगी।

(iv) 10,000 मेट्रिक टन तक के छोटे पार्सल आकार के लिए निम्नलिखित निःशुल्क अवधि अपनाई जाएगी:

कार्गो मात्रा	निःशुल्क अवधि
5000 एमटी तक	7 दिन
5000 से अधिक लेकिन 10000 एमटी से कम	10 दिन

(v) **विलंब शुल्क** - निःशुल्क अवधि की समाप्ति के बाद विलंब शुल्क नीचे दी गई दरों पर देय होगा:

अवधि (निःशुल्क अवधि की समाप्ति के बाद)	खुला प्लॉट	आच्छादित भंडारण (शेड)
	दर प्रति टन प्रति दिन (₹)	दर प्रति टन प्रति दिन (₹)
1 - 10 दिन	11.00	13.20
11 - 20 दिन	16.00	19.20
21 - 30 दिन	32.00	38.40
31वें दिन से	80.00	96.00

(vi) यदि कार्गो को सीमाशुल्क बंधित भंडारण क्षेत्र के भीतर से सीमाशुल्क बंधित भंडारण क्षेत्र के बाहर स्थानांतरित किया जाता है तो कुल निःशुल्क दिन सीमाशुल्क बंधित क्षेत्र के बाहर भंडारण के लिए विनिर्दिष्ट निःशुल्क दिनों से अधिक नहीं होंगे।

2.3.2.2 निर्यात

(i) **निशुल्क अवधि** - कार्गो की निर्यात के लिए निशुल्क अवधि निर्यात हेतु कार्गो जमा करने की तारीख से शुरू होगी। निःशुल्क अवधि का निर्धारण पोत की विनिहित मात्रा के आधार पर उस कार्गो के लिए विनिर्दिष्ट वितरण दर से विभाजित करके निकटतम पूर्णांक तक किया जाएगा।

(ii) ड्राई बल्क कार्गो की निर्यात के लिए वितरण दर प्रति दिन 1000 टन होगी।

(iii) ब्रेक बल्क कार्गो की निर्यात के लिए वितरण दर प्रति दिन 750 टन होगी।

(iv) 10,000 मेट्रिक टन तक के छोटे पार्सल आकार के लिए निम्नलिखित निःशुल्क अवधि अपनाई जाएगी:

कार्गो मात्रा	निःशुल्क अवधि
5000 एमटी तक	7 दिन
5000 से अधिक लेकिन 10000 एमटी से कम	10 दिन

(v) विलंब शुल्क - निः शुल्क अवधि की समाप्ति के बाद विलंब शुल्क नीचे दी गई दरों पर देय होगा:

अवधि (निः शुल्क अवधि की समाप्ति के बाद)	खुला प्लॉट	आच्छादित भंडारण (शेड)
	दर प्रति टन प्रति दिन (₹)	दर प्रति टन प्रति दिन (₹)
1 - 15 दिन	2.00	2.40
16 - 30 दिन	5.0	6.00
31वें दिन से	9.00	10.80

(vi) जहाज में कार्गो का भारण शुरू होने की तारीख से विलम्ब शुल्क समाप्त हो जाएगा।

(vii) शट-आउट कार्गो-

(क) शट-आउट कार्गो के लिए विलंब शुल्क जहाज के पूरा होने की तारीख से ऊपर निर्दिष्ट दर पर कार्गो की निकासी तक देय होगा।

(ख) शट-आउट कार्गो को अगले नौभारण के लिए कार्गो के एकत्रीकरण के रूप में माना जाएगा, यदि निर्यातक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि उक्त शट-आउट कार्गो को नौभारण के लिए अपनी इच्छा को घोषित करता है। ऐसे मामले में, अगले शिपमेंट के लिए निः शुल्क अवधि उक्त शट-आउट कार्गो को अगले शिपमेंट के लिए एकत्रीकरण के रूप में घोषित करने की तारीख से शुरू होगी।

(ग) विलंब शुल्क उस दिन से समाप्त हो जाएगा, जिस दिन शट-आउट कार्गो घोषित किया जाता है और पत्तन क्षेत्र के भीतर ऐसे बंद कार्गो को रखने के लिए यातायात विभाग द्वारा चिन्हित क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाता है। पोर्ट लैंड एसओआर के अनुसार लागू किराया प्रचलित दर पर होगा।

(घ) निर्यात के लिए लाया गया कार्गो, अगर किसी कारण से वापस ले लिया जाता है तो कोई निः शुल्क दिन नहीं दिया जाएगा और भंडारण प्रभार कार्गो के एकत्रीकरण की शुरुआत की तारीख से लगाया जाएगा।

विस्फोटकों/खतरनाक/हानिकारक माल पर भू-किराया/विलंब शुल्क:

क्रम सं.	विवरण	दर प्रति टन या उसका भाग/प्रति टीईयू प्रति दिन या उसका भाग
क.	विस्फोटकों/खतरनाक/हानिकारक माल के लिए भू-किराया।	
1	बल्क या ब्रेक-बल्क में - खतरनाक -I	12243.00
2	कंटेनरों में -खतरनाक -I	12243.00

टिप्पणी: विस्फोटक/खतरनाक/जोखिमपूर्ण कार्गो/कंटेनर को पत्तन परिसर में कार्गो/कंटेनर के आगमन की उसी तारीख को नौभारित/हटा दिया जाएगा। इस तरह के कार्गो को पत्तन परिसर में भंडारित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सामान्य टिप्पणियां:

(i) विलंब शुल्क/भंडारण प्रभारों के लिए, अनुमत निःशुल्क दिन सीमा शुल्क अधिसूचित अवकाश दिवसों और पत्तन के गैर-कार्य दिवसों के अतिरिक्त होंगे। एक बार विलंब शुल्क/भंडारण प्रभार लागू हो जाने पर सीमा शुल्क अधिसूचित अवकाश दिवसों और पत्तन के गैर-कार्य दिवसों के लिए कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा।

(ii) निःशुल्क दिनों के प्रयोजन के लिए "दिवस" की गणना प्रातः 07:30 बजे से अगले दिन प्रातः 7:30 बजे तक की जाएगी।

(iii) किराया आधार पर पत्तन शेड़े/खुले प्लॉटों में भंडारित कार्गो पोतवणिक/निर्यातकों/आयातकों की जोखिम और जिम्मेदारी पर होगा।

(iv) पोतवणिक/आयातक/निर्यातक गोदी सुरक्षा विनियमों में निर्धारित सभी सुरक्षा उपायों की पुष्टि करेंगे और व्यक्ति और/अथवा पत्तन संपत्ति को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए पूर्णतः वे ही जिम्मेदार होंगे।

(v) भंडारण की अवधि की गणना पत्तन परिसर में माल की प्राप्ति के वास्तविक दिन से की जाएगी।

(vi) यदि कार्गो रात के दौरान 23.00 बजे से 7.00 बजे तक खाली किया जाता है, तो निः शुल्क दिनों के बाद सड़क मार्ग से निकाले गए कार्गो के लिए विलम्ब शुल्क पर 1.00 प्रति टन की छूट दी जाएगी।

(vii) कार्गो/कंटेनर पर भंडारण/विलंब शुल्क प्रभार उस अवधि के लिए प्रभारित नहीं किए जाएंगे, जब पत्तन अपने ऊपर आरोप्य कारणों से कार्गो/कंटेनर की आयात/निर्यात की सुपूर्दगी/नौभारण करने की स्थिति में नहीं हो ।

2.4 कार्गो संभलाई श्रम प्रभार

2.4.1 स्टीवडोरिंग प्रभार

क्रम सं.	कार्गो	दर प्रति टन/टीईयू (₹)	
		विदेशी कार्गो	तटीय कार्गो
	ड्राई बल्क कार्गो		
1	लौह अयस्क फाइन्स/लम्पी/पेलेट्स,	39.04	23.42
2	पिग आयरन/मैंगनीज/सीमेंट/क्लिंकर/निकेल/बैंटोनाइट/	58.16	34.90
3	बॉक्साइट/चूना पत्थर/जिप्सम	39.04	23.42
4	उर्वरक/उर्वरक कच्चा माल/रॉक फॉस्फेट	84.34	50.60
5	चीनी, खाद्यान्न, तिलहन, सभी प्रकार के अनाज और दालें आदि	84.34	50.60
6	वुड चिप्स	51.82	31.10
7	कोयला/कोक (सभी प्रकार)/स्लैग	52.17	31.30
8	सभी प्रकार के स्क्रेप	81.00	48.60
9	सैण्ड	39.04	23.42
10	सोडा ऐश	52.17	31.30
11	कार्गो जो ऊपर निर्दिष्ट नहीं है	100.00	60.00
	ब्रेक बल्क कार्गो		
1	सभी प्रकार के वायर रोल/स्टील कॉइल/स्लैब/बार/सभी प्रकार की सिल्लियां/ग्रेनाइट/मार्बल	70.67	42.40
2	सभी प्रकार के पाइप और प्लेट/इमारती लकड़ी/लकड़ी के लड़े	69.20	41.52
3	बैग, पैलेट आदि में सभी प्रकार के खनिज और अयस्क	110.19	66.11
4	मशीनरी और प्रोजेक्ट कार्गो	70.67	42.40
5	जंबो बैग में सभी कार्गो	110.19	66.11
6	नेट स्लिंग्स का उपयोग कर संभलाया गया सभी कार्गो	222.50	133.50
7	ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं किया गया कार्गो	200.00	120.00

टिप्पणी: कार्गो जो ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं है, को शुरू में संबद्ध सीमा शुल्क वर्गीकरण के अनुसार समूहीकृत किया जाएगा, अन्यथा वर्गीकरण कार्गो की प्रकृति (घनत्व, भंडारण और संभलाई का तरीका आदि) के आधार पर होना चाहिए। यदि इस तरह के कार्गो को उपरोक्त किसी भी वर्गीकरण के तहत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है तो "ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं किए गए कार्गो" पर प्रयोज्य दर लागू होगी।

2.4.2 कंटेनर स्टफिंग /डी-स्टफिंग प्रभार:

क्रम सं.	कार्गो	दर (₹)	विदेशी कार्गो	तटीय कार्गो
1	कंटेनर स्टफिंग /डी-स्टफिंग	प्रति टीईयू	1278.00	767.00

टिप्पणी: कार्गो जो ऊपर निर्दिष्ट नहीं है, को शुरू में संबद्ध सीमा शुल्क वर्गीकरण के अनुसार समूहीकृत किया जाएगा, अन्यथा वर्गीकरण कार्गो की प्रकृति (घनत्व, भंडारण और संभलाई का तरीका आदि) के आधार पर होना चाहिए। यदि इस तरह के कार्गो को उपरोक्त किसी भी वर्गीकरण के तहत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है तो "ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं किए गए कार्गो" पर प्रयोज्य दर लागू होगी।

खंड 2.4 के लिए टिप्पणियां:

(i) रियायती प्रशुल्क के लिए पात्र तटीय कार्गो की संभलाई के मामले में और भंडारण याई से/घाट तक/से जहाज-तट तक स्थानांतरण वाले तटीय कंटेनरों के लिए, उपरोक्त अनुसूची में सामान्य कार्गो के लिए निर्धारित दरों का 60% लगाया जाएगा, यदि इस अनुसूची में विशेष रूप से निर्धारित नहीं किया जाता है।

(ii) कंटेनरों/कार्गो के यानांतरण के लिए संभलाई प्रभार रियायती होंगे। ऐसे प्रभार लदाई या उतराई प्रक्रिया में सामान्य संभलाई प्रचालन के लिए संभलाई प्रभारों के 1.5 गुना से अधिक नहीं होंगे। तटीय कंटेनरों/कार्गो के यानांतरण के मामले में, लदाई या उतराई प्रक्रिया में सामान्य संभलाई प्रचालन के लिए तटीय कंटेनरों/कार्गो के लिए लागू संभलाई प्रभारों के संदर्भ में संभलाई प्रभारों में रियायत की गणना की जाएगी। यानांतरण के लिए बने कंटेनरों/कार्गो की घोषणा इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट (आईजीएम) प्रस्तुत करते समय की जाएगी। यानांतरण के लिए बने ऐसे कंटेनर/कार्गो को उनकी उतराई की तारीख से सात दिनों के भीतर यानांतरित किया जाएगा।

2.5 इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज प्रभार

(i) नया ईडीआई (एसएपी एक्सेस) जारी करने के लिए ₹ 50000/- का एक-समयी प्रभार वसूल किए जाएंगे।

(ii) विदेशी और तटीय संबंधित सेवाओं के लिए ईडीआई शुल्क सेवा राशि के 1% पर लगाया जाएगा, जो क्रमशः न्यूनतम 2.00 यूएस डॉलर और ₹ 100/- और अधिकतम 50.00 यूएस डॉलर और ₹ 3500/- होगा। सेवा राशि किसी भी कर को छोड़कर चालान राशि है।

2.6. विविध कार्गो संबंधित प्रभार

2.6.1. मोबाइल हारबर क्रेन

क्रम सं.	कार्गो	दर प्रति टन(₹)	
		विदेशी कार्गो	तटीय कार्गो
	ड्राई बल्क कार्गो		
1	लौह अयस्क फाइन्स/लम्पी/पेलेट्स/पिग आयरन/बॉक्साइट मैंगनीज/चूना पत्थर/जिप्सम/सीमेंट/क्लंक/निकेल/बेंटोनाइट	59.00	35.00
2	उर्वरक/उर्वरक कच्चा माल/रॉक फॉस्फेट	97.00	59.00
3	चीनी, खाद्यान्न, तिलहन, सभी प्रकार के अनाज और दालें आदि	97.00	59.00
4	वुड चिप्स	70.00	42.00
5	कोयला/कोक (सभी प्रकार)/स्लैग	104.34	62.60
6	सभी प्रकार के स्क्रेप	162.00	97.20
7	सैंड	78.08	46.85
8	सोडा ऐश	104.34	62.60
9	ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं किया गया कार्गो	100.00	60.00
	ब्रेक बल्क कार्गो		
1	सभी प्रकार के वायर रोल/स्टील कॉइल/स्लैब/बार/सभी प्रकार के सिल्लियां/ग्रेनाइट/मार्बल	96.00	57.50
2	सभी प्रकार के पाइप और प्लेट/इमारती लकड़ी/लकड़ी के लड्डे	160.00	96.00
3	बैग, पैलेट आदि में सभी प्रकार के खनिज और अयस्क	146.97	88.15
4	मशीनरी और प्रोजेक्ट कार्गो	94.23	56.54
5	जंबो बैग में सभी कार्गो	133.00	80.00
6	नेट स्लिंग्स का उपयोग कर संभलाया गया सभी कार्गो	266.00	160.00
7	ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं किया गया कार्गो	200.00	120.00

टिप्पणी: कार्गो जो ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं है, को शुरू में संबद्ध सीमा शुल्क वर्गीकरण के अनुसार समूहीकृत किया जाएगा, अन्यथा वर्गीकरण कार्गो की प्रकृति (घनत्व, भंडारण और संभलाई का तरीका आदि) के आधार पर होना चाहिए। यदि इस तरह के कार्गो को उपरोक्त किसी भी वर्गीकरण के तहत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है तो "ऊपर निर्दिष्ट नहीं किए गए कार्गो" पर प्रयोज्य दर लागू होगी।

2.6.2 मोबाइल हारबर क्रेन द्वारा कंटेनर संभलाई

(₹ में)

कंटेनर वर्ग	विदेशी			तटीय		
	20' लंबाई तक	20' लंबाई से अधिक लेकिन 40' तक	40' से अधिक लंबाई	20' लंबाई तक	20' लंबाई से अधिक लेकिन 40' तक	40' से अधिक लंबाई
भारित सामान्य कंटेनर	1963	2945	3927	1179	1767	2356
खाली सामान्य कंटेनर	1571	2356	3141	943	1414	1884
भारित खतरनाक कंटेनर	2454	3680	4908	1473	2209	2945
खाली खतरनाक कंटेनर	1963	2945	3927	1179	1767	2356

टिप्पणियाँ:

(i) यदि क्रेन एक घंटे से अधिक समय के लिए या जहाज घाट छोड़ने तक, खराब होती है तो एचएमसी द्वारा संभलाई जाने वाली मात्रा को क्रेन के काम के घंटे से विभाजित और 24 से गुणा कर ब्रेक-डाउन से पहले भारत/अभारित किए गए कार्गो को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाएगा।

(ii) यदि एचएमसी का प्रचालन, एचएमसी के अतिरिक्त कारण से लगातार दो घंटे से अधिक समय के लिए बंद हो जाता है तो जहाज में क्रेन के संचालन के कुल समय की गणना करते समय क्रेन को उचित भत्ता दिया जाएगा। 2 घंटे से कम समय के लिए एचएमसी का कार्य बंद होने पर उपरोक्त उद्देश्य के लिए विचार नहीं किया जाएगा। एचएमसी के कारण होने वाले कार्य- बंदी के लिए कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा। एचएमसी के काम करने के दौरान भारण/अभारण प्रचालन में सभी रुकावटों को जहाज के स्टीवीडोर द्वारा दैनिक जहाज निष्पादन रिपोर्ट में प्रमाणित किया जाना आवश्यक है।

3.0 अपने लंगर का इस्तेमाल करने वाले यानांतरक/ फ्लोटिंग क्रेन प्रभार

यानांतरक/फ्लोटिंग क्रेन के माध्यम से कार्गो के भारण/अभारण के लिए शुल्क निम्नलिखित दरों पर यानांतरक जहाज/फ्लोटिंग क्रेन मालिकों से वसूल किया जाएगा:

विवरण	दर प्रति टन (₹)
यानांतरक	21.00
फ्लोटिंग क्रेन	21.00

4.0 विविध प्रभार**4.1 उपकरण और मशीनरी का किराया:**

कार्गो संभलाई के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले पत्तन उपकरण और मशीनरी को निम्नलिखित दरों पर प्रभारित किया जाएगा:

क्रम सं.	विवरण	दर (₹)	यूनिट
1	मोबाइल हारबर क्रेन	28771.00	प्रति घंटा या उसका भाग
2	3 टन फोर्कलिफ्ट	1224.00	प्रति घंटा या उसका भाग
3	8 टन टीआईएल बुल क्रेन	1469.00	प्रति घंटा या उसका भाग
4	11 टन एसीई क्रेन	1836.00	प्रति घंटा या उसका भाग
5	75 एमटी टीआईएल क्रेन	7346.00	प्रति घंटा या उसका भाग
6	8 टन ईओटी क्रेन	2662.00	प्रति घंटा या उसका भाग
7	12 टन ईओटी क्रेन	3992.00	प्रति घंटा या उसका भाग
8	18 टन ईओटी क्रेन	5988.00	प्रति घंटा या उसका भाग
9	लोको इंजन पिट प्रभार	2129.00	प्रति घंटा या उसका भाग
10	बोलाई पुल टेस्ट	26615.00	प्रति टेस्ट

4.2 विविध प्रभार

क्रम सं.	विवरण	दर (₹)	यूनिट
1	पार्टियों द्वारा निकर्षित सामग्री की डंपिंग	32.00	प्रति घन मीटर
2	1 मानक लंबाई का ऑयल बूम (जनशक्ति और बेड़ा लागत, आदि को छोड़कर)	2662.00	प्रति घंटा या उसका भाग
3	स्किमर/कोई भी ओपीआरसी उपकरण (मैनपावर और फ्लोटिला लागत आदि अतिरिक्त)	3194.00	प्रति घंटा या उसका भाग

टिप्पणी: मैनपावर और उपभोज्य लागत वास्तविक पर अतिरिक्त देय होगी।

4.3 पत्तन में परिचालन करने वाले यानांतरक/फ्लोटिंग क्रेन के लिए लाइसेंस शुल्क

विवरण	₹ प्रति वर्ष
यानांतरक	1,59,690.00
फ्लोटिंग क्रेन	1,06,460.00

4.4 कार्गो प्रचालन के लिए अधिकृत निजी ऑपरेटरों द्वारा उपलब्ध करवाए गए यानांतरक/फ्लोटिंग क्रेन के उपयोग के लिए प्रभार:

विवरण	अधिकतम दर प्रति टन (विदेशी)
ट्रांसशिपर 30 टन	149.00
फ्लोटिंग क्रेन 32 टन	117.00

टिप्पणी: इस अनुसूची में निर्धारित दरें सामान्य निबंधन एवं शर्तों के अधीन टिप्पणी संख्या (vii) में निर्धारित प्रशुल्क तथा कार्य निष्पादन से संबंधित में प्रशुल्क में वार्षिक सूचकांकन के अधीन नहीं हैं।

4.5 रेलवे प्रभार:

क्रम सं.	विवरण	दर रुपयों में
1	ढुलाई शुल्क	रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिसूचित ढुलाई शुल्क दर लगाई जाएगी
2	टर्मिनल प्रभार	
3	लोकोमोटिव का किराया	
4	गैर-कमीशन वैगन या भारतीय रेल के अलावा सीएफएस ऑपरेटर/पार्टी के स्वामित्व वाले वैगन पर स्टेबलिंग प्रभार	आगमन के समय से लेकर हटाने के समय तक प्रति वैगन प्रति दिन या उसके भाग के लिए प्रति वैगन रुपये 550.00 होगा।
5	अतिरिक्त ढुलाई शुल्क	मौजूदा ढुलाई शुल्क का दोगुना
6	यार्ड सफाई प्रभार	पत्तन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दर

टिप्पणी: वेब्रिजेज, सिक/डिटैचड वैगनों के कैलिब्रेशन के लिए लोको किराया प्रभार प्रति घंटा या उसके भाग के आधार पर वसूल किए जाएंगे।

4.6 छुट्टीसमयोपरि:

पत्तन अवकाश के दौरान पत्तन प्रयोक्ताओं द्वारा ली गई सेवाओं के लिए छुट्टी ओवरटाइम प्रभारों का भुगतान करना होगा। कथित प्रभार सेवाएं प्रदान करने के लिए बुक किए गए कर्मियों की कंपनी की लागत (सीटीसी) पर आधारित हैं।

4.7 हारबर प्रवेश परमिट के लिए प्रभार: (जीएसटी को छोड़कर)

क्रम सं.	हारबर प्रवेश परमिट का प्रकार	दर (₹)
1	अस्थायी	
क.	दैनिक वाणिज्यिक वाहन	25.00
	व्यक्ति	10.00
	वाहन (चार पहिया)	50.00
	दुपहिया वाहन	25.00

	बस	100.00
ख.	साप्ताहिक	
	व्यक्ति	62.00
	वाहन (चार पहिया)	125.00
	दुपहिया वाहन	50.00
	बस	600.00
ग.	मासिक	
	व्यक्ति	250.00
	वाहन (चार पहिया)	500.00
	दुपहिया वाहन	300.00
	बस	2000.00
2	वार्षिक	
क.	व्यक्ति	1000.00
	वाहन (चार पहिया)	2000.00
	दुपहिया वाहन	1000.00
	बस	5000.00
3	इंटर-कार्टिंग वाहन	
	ट्रक - प्रतिदिन	100.00
	ट्रक - 7 दिन	500.00
	टिप्पर - 15 दिन	750.00
	टिप्पर - 30 दिन	1000.00
	ट्रेलर - छह महीने	2000.00
	ट्रेलर - एक वर्ष	4000.00
4	इंटर-कार्टिंग उपकरण (डोजर, डम्पर, बैक-होज, एक्सकेवेटर, आदि)	
	प्रतिदिन	150.00
	7 दिन	1000.00
	15 दिन	1500.00
	30 दिन	2000.00
5	लोडर, क्रेन और अन्य भारी मशीनें, आदि	
	अर्धवार्षिक	15000.00
	वार्षिक	25000.00
6	आगंतुक पास (निजी आगंतुक)	
	व्यक्ति	50.00
	वाहन (चार पहिया)	100.00
	दुपहिया वाहन	50.00
	मिनी कोच- बस	200.00
	लकज़री कोच/बस	300.00
7	उपरोक्त सभी प्रभार आरएफआईडी कार्ड के प्रभारों को छोड़कर हैं। आरएफआईडी कार्ड शुल्क (जीएसटी सहित)	100.00

अनुबंध -ख**कार्य निष्पादन मानक**

क्रम सं.	कार्य निष्पादन मापदंड	कार्य निष्पादन मानक
1	कार्गो संबंधित सेवाएं	
(a)	प्रमुख कार्गो समूहों के संबंध में औसत जहाज घाट दिन उत्पादन (टन में)	
	(i). ड्राई बल्क कार्गो	5500
	(ii). ब्रेक बल्क कार्गो	4000
	(iii). तरल बल्क कार्गो	6500
(b)	कंटेनरों के संबंध में औसत संचलन प्रति घंटा (टीईयू में)।	12
2	पोत संबंधी सेवाएं	
(a)	जहाजों का औसत टर्नअराउंड समय (दिनों में)	3.60
(b)	जहाजों का औसत प्री-बर्थिंग समय (दिनों में) (पत्तन के कारण)	0.32

Sd/-

मुरगांव पत्तन प्राधिकरण मंडल के अध्यक्ष

www.goaprintingpress.gov.in

Printed and Published by the Director, Printing & Stationery,
Government Printing Press,
Mahatma Gandhi Road, Panaji-Goa 403 001.

PRICE – Rs. 69.00

PRINTED AT THE GOVERNMENT PRINTING PRESS, PANAJI-GOA—371/100—01/2023.